भारत के राजपत्र, असाधारण भाग III, खंड 4 में प्रकाशनार्थ

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जुलाई 2024

दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं
(आठवां) (एड्रेसेबल सिस्टम) टैरिफ (चौथा संशोधन) आदेश, 2024
(2024 की सं. 1)

सं.आरजी-8/1/(9)/2021-बी और सीएस(1 और 3).--- भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग), संख्या 39 में केन्द्र सरकार की अधिसूचना के साथ पठित, -----

1. धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (के) और उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (डी) के प्रावधान द्वारा केंद्र सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया, तथा

2. अधिसूचना संख्या एस.ओ. 44 (ई) और 45 (ई) के तहत दिनांक 9 जनवरी, 2004 को भारत के राजपत्र, विशेष, भाग II, खंड 3,के अंतर्गत प्रकाशित ---

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण एतद्द्वारा दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाओं (आठवां) (एड्रेसेबल प्रणालियां) टैरिफ आदेश, 2017 (2017 का 1) में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश बनाता है, नामतः -

1. लघु शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ:--(1) इस आदेश को दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं (आठवां) (एड्रेसेबल प्रणालिया) टैरिफ (चौथा संशोधन) आदेश, 2024 (2024 का 1) कहा जाएगा ।

(2) यह आदेश पूरे भारत में लागू होगा।

(3) यह आदेश इसके शासकीय राजपत्र में के प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन के बाद लागू होगा, खंड 2, 7 और 8 के अतिरिक्त जो कि इस आदेश के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं (आठवां) (एड्रेसेबल प्रणालियां) टैरिफ आदेश, 2017 (इसके बाद "मूल टैरिफ आदेश" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के उप-खण्ड (जेडए) के पश्चात् निम्नलिखित उप-खण्ड जोड़ा जाएगा, नामत::-

"(जेडएए) "प्लेटफार्म सेवाएं" का आशय वितरण प्लेटफार्म संचालकों द्वारा विशेष रूप से अपने स्वयं के ग्राहकों को प्रेषित कार्यक्रम से है और इसमें दूरदर्शन चैनल, पंजीकृत टीवी चैनल और विदेशी टीवी चैनल जो भारत में पंजीकृत नहीं हैं, शामिल नहीं होंगे।"

3. मूल टैरिफ आदेश के खंड 3 के उपखंड (2) के मद (ख) में, दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, नामत:---

"बशर्ते कि कोई चैनल, जिसे केंद्र सरकार द्वारा डाउनलिंकिंग की अनुमति दी गई हो और जो सार्वजनिक सेवा प्रसारक के डायरेक्ट टू होम प्लेटफॉर्म पर बिना किसी सब्सक्रिप्शन शुल्क के उपलब्ध हो, उसे एड्रेसेबल वितरण प्लेटफॉर्म के लिए पे चैनल घोषित नहीं किया जाएगा।"

4. मूल टैरिफ आदेश के खंड 4 में,---

(**क**) उपखंड (1) में ---

(i) पहला एवं दूसरा परंतुक हटा दिया जाएगा;

(ii) तीसरे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत: ---

"बशर्ते कि टेलीविजन चैनलों का वितरक अलग-अलग नेटवर्क क्षमता शुल्क घोषित करने के लिए स्वतंत्र होगा अलग-अलग:

(i) चैनलों की संख्या;

(ii) अपने सेवा क्षेत्र में क्षेत्र;

(iii) उपभोक्ताओं के वर्ग,

(iv) उपरोक्त (i) से (iii) के किसी भी संयोजन;

बशर्ते यह भी कि उपभोक्ताओं के बीच प्रत्येक वर्गीकरण सुबोध पात्रता मानदंडों पर आधारित होगा, जहां ऐसे मानदंडों का उक्त वर्गीकरण के उद्देश्य से एक तर्कसंगत संबंध होगा;";

(iii) चौथे परंतुक में, निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:: ---

"बशर्ते कि टेलीविजन चैनलों का एक वितरक मल्टी-टीवी घर में पहले टीवी कनेक्शन से परे, प्रत्येक अतिरिक्त टीवी कनेक्शन के लिए प्रति माह नेटवर्क क्षमता शुल्क की घोषणा करने के लिए स्वतंत्र होगा एवं ऐसा शुल्क, किसी भी स्थिति में, पहले टीवी कनेक्शन के नेटवर्क क्षमता शुल्क से अधिक नहीं होगा:"

(iv) पाँचवाँ परन्तुक हटा दिया जायेगा।

(ख) उप-खण्ड (4) के दूसरे परन्तुक में, "पचासी प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "पचपन प्रतिशत" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ग) उप-खण्ड (11) के पश्चात, निम्नलिखित उप-खण्ड को अंतःस्थापित किया जाएगा, नामत:: ---

"(12) टेलीविजन चैनलों का प्रत्येक वितरक अपने द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रत्येक प्लेटफार्म सेवा के लिए प्रति माह अधिकतम खुदरा मूल्य घोषित करेगा।"

5. मूल टैरिफ आदेश के खंड 6 में, -------

(क) उपखंड (1) में,

(i) शब्द "प्राधिकरण" के पश्चात एवं शब्द "नामत:" के पूर्व शब्द "इस प्रकार, जैसा कि निर्दिष्ट किया जा सकता है" अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ii) दूसरे परंतुक में, कोष्ठक, शब्द और अंक "(तृतीय संशोधन) आदेश 2022" के स्थान पर, कोष्ठक, शब्द और अंक "(चतुर्थ संशोधन) आदेश 2024" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iii) तीसरे परंतुक के मद (क) में, शब्द "ऐसे परिवर्तन से पहले" के पश्चात, शब्द "इस प्रकार, जैसा कि निर्दिष्ट किया जा सकता है" को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ख) उप-खंड (2) में,

(i) शब्द "प्राधिकरण को प्रस्तुत करना" के पश्चात एवं शब्द "निम्नत जानकारी" के पूर्व शब्द "इस प्रकार, जैसा कि निर्दिष्ट किया जा सकता है" अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ii) दूसरे परन्तुक के मद (क) में, "ऐसे परिवर्तन से पहले" के पश्चात, शब्द "इस प्रकार, जैसा कि निर्दिष्ट किया जा सकता है" अंतःस्थापित किया जाएगा;

6. मूल टैरिफ आदेश के खंड 7 में ----

(क) उपखंड (1) में,

(i) शब्द "प्राधिकरण" के पश्चात एवं शब्द "अर्थात्" के पूर्व शब्द "इस प्रकार, जैसा कि निर्दिष्ट किया जा सकता है" अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ii) मद (क) के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:: ---

"(क) चैनलों की संख्या, विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न ग्राहक वर्गों या इनके किसी संयोजन के आधार पर घोषित नेटवर्क क्षमता शुल्क;";

(iii) मद (ख) हटा दिया जाएगा;

(iv) मद (i) के पश्चात, निम्नलिखित मद अंतःस्थापित किया जाएगा, नामत:: ---

"(झक) अपने वितरण प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध उनके अधिकतम खुदरा मूल्य के साथ सभी प्लेटफॉर्म सेवा चैनलों की सूची;";

(v) पहले परंतुक में, "पहली ऐसी रिपोर्ट" शब्द के स्थान पर, "इस उप-खंड के अधीन अपेक्षित सूचना" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(vi) दूसरे परन्तुक में,--

A. कोष्ठक, शब्द और अंक "(तृतीय संशोधन) आदेश 2022" के स्थान पर कोष्ठक, शब्द और अंक "(चतुर्थ संशोधन) आदेश 2024" से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

B. मद (क) में, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत::---

"ऐसे परिवर्तन से कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व इस प्रकार, जैसा कि निर्दिष्ट किया जा सकता है, प्राधिकरण को रिपोर्ट किया जाएगा; और -";

(vii) दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, नामत:-

"आगे यह भी प्रावधान किया गया कि नेटवर्क क्षमता शुल्क, पे चैनलों के नाम, प्रकृति, भाषा, वितरक खुदरा मूल्य, पे चैनलों के बुके का वितरक खुदरा मूल्य या संरचना और फ्री-टू-एयर चैनलों के बुके की संरचना, मल्टी टीवी होम में पहले टीवी कनेक्शन से परे प्रत्येक अतिरिक्त टीवी कनेक्शन के लिए नेटवर्क क्षमता शुल्क, दीर्घकालिक सब्सक्रिप्शन, प्लेटफॉर्म सेवाओं का अधिकतम खुदरा मूल्य और इसके प्लेटफॉर्म पर किसी भी चैनल को शुरू करने या बंद करने में बाद का कोई भी परिवर्तन, जैसा भी मामला हो,---

(क) ऐसे परिवर्तन से कम से कम पंद्रह दिन पहले, इस प्रकार, जैसा कि निर्दिष्ट किया जा सकता है, प्राधिकरण को सूचित किया जाएगा, और

(ख) साथ ही वितरक की वेबसाइट पर भी प्रकाशित किया जाएगा।";

(ख) उप-खण्ड (1क) में, शब्द "प्राधिकरण को" के पश्चात् एवं शब्द "संसूचित करेगा" के पहले, शब्द "इस प्रकार, जैसा कि निर्दिष्ट किया जा सकता है," अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ग) उप-खण्ड (2) में, शब्द "प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा" के पश्चात् एवं शब्द "रिपोर्ट जिसमें" के पहले, शब्द "इस प्रकार, जैसा कि निर्दिष्ट किया जा सकता है," अंतःस्थापित किया जाएगा।

7 . मूल टैरिफ आदेश के खंड 8 के पश्चात निम्नलिखित खंड जोड़े जाएंगे, ----

"(8क) प्रसारक या वितरक द्वारा इस आदेश के किसी भी प्रावधान का अनुपालन न करने के परिणाम– (1) यदि कोई प्रसारक या टेलीविजन चैनलों का वितरक, जैसा भी मामला हो, इस आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो वह अपने अनुज्ञप्ति या अनुमति या पंजीकरण की शर्तों या अधिनियम या नियमों या विनियमों या उसके तहत बनाए गए

आदेश या जारी किए गए निर्देशों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अनुसूची I में उल्लिखित वित्तीय निरुत्साहन का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जैसा कि प्राधिकरण या प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत कोई प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, आदेश द्वारा निर्देशित कर सकता है:

बशर्ते कि अनुसूची-I की तालिका 1 में समूह क के अंतर्गत उल्लिखित खंडों के उल्लंघन के लिए लगाए जाने वाले अधिकतम वित्तीय निरुत्साहन की राशि किसी भी मामले में दो लाख रुपये से अधिक नहीं होगी:

बशर्ते कि अनुसूची-I की तालिका 1 में समूह ख के अंतर्गत उल्लिखित खंडों के उल्लंघन के लिए लगाए जाने वाले अधिकतम वित्तीय निरुत्साहन की राशि किसी भी मामले में पांच लाख रुपये से अधिक नहीं होगी:

बशर्ते यह भी कि एक कैलेंडर वर्ष में सभी उल्लंघनों के लिए सेवा प्रदाता पर लगाया गया अधिकतम वित्तीय हतोत्साहन पांच लाख रुपये से अधिक नहीं होगा:

बशर्ते यह भी कि प्राधिकरण या प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी प्राधिकारी द्वारा ऐसा कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा, जब तक कि प्रसारक या वितरक को, जैसा भी मामला हो, देखे गए खंडों के उल्लंघन के खिलाफ प्रतिनिधित्व का उचित अवसर नहीं दिया गया हो:

(2) इस आदेश के अधीन वित्तीय निरुत्साहन के रूप में देय राशि ऐसे लेखा शीर्ष में प्रेषित की जाएगी, जैसा कि प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(8ख) निर्धारित समय के भीतर वित्तीय निरुत्साहन का भुगतान करने में सेवा प्रदाताओं की विफलता के परिणाम.-(1) यदि कोई सेवा प्रदाता निर्धारित अवधि के भीतर खंड 8 क के तहत वित्तीय निरुत्साहन का भुगतान करने में विफल रहता है, तो वह उस दर पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जो वित्तीय वर्ष (अर्थात 1 अप्रैल) के आरंभ में लागू, जिसमें निर्धारित अवधि का अंतिम दिन पड़ता है, भारतीय स्टेट बैंक की एक वर्ष की सीमांत उधार लागत दर (एमसीएलआर) से दो प्रतिशत अधिक होगी। ब्याज की राशि वार्षिक रूप से संयोजित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण: इस खंड के प्रयोजनों के लिए, ब्याज की गणना के प्रयोजन के लिए महीने के एक भाग को पूर्ण माह के रूप में गिना जाएगा और महीने को अंग्रेजी कैलेंडर माह के रूप में गिना जाएगा।"

अनुसूची I

तालिका 1. टैरिफ आदेश के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए वित्तीय निरुत्साहन की मात्रा

खंड	विवरण	वित्तीय निरुत्साहन की अधिकतम राशि (Q) (रु. में)	
		प्रथम उल्लंघन	इसके बाद का उल्लंघन
समूह क : कम वित्तीय निरुत्साहन के लिए खंड			
3(2)(क)	चैनल की प्रकृति को एफटीए या पे के रूप में घोषित करना	परामर्श/चेतावनी	25,000
6	प्रसारकों द्वारा रिपोर्टिंग की आवश्यकता	परामर्श/चेतावनी	25,000
7	वितरकों द्वारा रिपोर्टिंग की आवश्यकता	परामर्श/चेतावनी	25,000
8	अनुपालन अधिकारी का पदनाम	परामर्श/चेतावनी	25,000
समूह ख : अधिक वित्तीय निरुत्साहन के लिए खंड			
3(1)	सभी वितरकों को ए कार्टे आधार पर सभी-ला-चैनलों की पेशकश	25,000	1,00,000
3(2)(ख)	ए कार्टे आधार पर पेश किए जाने वाले पे-ला-चैनल के एमआरपी की घोषणा	25,000	1,00,000
3(2)(खबी) का दूसरा परंतुक	सभी वितरण प्लेटफार्मों के लिए एक चैनल का एमआरपी एक समान होगा	25,000	1,00,000
3(2)(ख) का तीसरा परंतुक	डीडी फ्री डिश पर उपलब्ध चैनल एड्रेसेबल सिस्टम के लिए एफटीए होंगे	25,000	1,00,000
3(3)	प्रसारकों द्वारा बुके का निर्माण	25,000	1,00,000
4(1)	एनसीएफ की घोषणा	25,000	1,00,000
4(2)	अपने नेटवर्क पर उपलब्ध चैनलों को ग्राहकों को अ-ला-कार्टे आधार पर उपलब्ध कराना	25,000	1,00,000
4(3)	बिना किसी परिवर्तन के प्रसारकों के पे-चैनलों का बुके प्रस्तुत करना	25,000	1,00,000
4(4)	वितरकों द्वारा बुके देना	25,000	1,00,000
4(6)	कोई भी वितरक अपने ग्राहकों से एफटीए चैनलों या एफटीए चैनलों के बुके की सब्सक्रिप्शन लेने के लिए एनसीएफ के अलावा कोई अन्य राशि नहीं लेगा।	25,000	1,00,000
4(8)	वितरक छह महीने की अवधि के लिए एनसीएफ में वृद्धि नहीं करेगा	25,000	1,00,000

(क) **<u>वित्तीय निरुत्साहन लगाने के उद्देश्य से टेलीविजन चैनलों के वितरकों का वर्गीकरण:</u>** वितरकों को उनके ग्राहक आधार के आधार पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा और वित्तीय निरुत्साहन की लागू राशि वितरकों की श्रेणी के आधार पर निम्नानुसार निर्धारित की जाएगी (सिवाय उन मामलों के जहां चेतावनी/परामर्श जारी की गई है):

<u>तालिका 2: सब्सक्राइबर बेस के आधार पर वितरकों की श्रेणियां एवं प्रत्येक वर्ग के लिए वित्तीय निरुत्साहन</u>

डीपीओ की श्रेणी	**सब्सक्राइबर बेस**	**लागू वित्तीय निरुत्साहन की राशि**
सूक्ष्म	30,000 से कम	अधिकतम एफडी राशि का 10% यानि 0.1Q
छोटा	30,000 से 1,00,000 के बीच	अधिकतम एफडी राशि का 25% यानी 0.25Q
मध्यम	1,00,000 से 10,00,000 के बीच	अधिकतम एफडी राशि का 50% यानी 0.5Q
बड़ा	10,00,000 से अधिक	अधिकतम एफडी राशि का 100% यानी Q

(ख) **<u>वित्तीय निरुत्साहन लगाने के उद्देश्य से प्रसारकों के टेलीविजन चैनलों का वर्गीकरण:</u>** प्रसारकों के मामले में, वित्तीय निरुत्साहन का निर्धारण उन चैनलों की प्रकृति के आधार पर किया जाएगा जिनके लिए उल्लंघन देखा गया है, अर्थात यह पे चैनल है या एफटीए चैनल है, इस प्रकार (सिवाय उन चैनलों के जहां चेतावनी/सलाह जारी की गई है):

<u>तालिका 3: प्रसारकों के लिए वित्तीय निरुत्साहन</u>

निम्न के संबंध में उल्लंघन	**वित्तीय निरुत्साहन**
एफटीए चैनल	अधिकतम वित्तीय निरुत्साहन राशि का 50% यानी 0.5 Q
पे चैनल	अधिकतम वित्तीय निरुत्साहन राशि का 100% यानी Q

(ग) अनुसूची-I की तालिका 1 में समूह ख के अंतर्गत उल्लिखित खंडों के तीन से अधिक उल्लंघनों के मामले में, नवीनतम उल्लंघन की तारीख से तीन साल के ब्लॉक में, प्राधिकरण, ऊपर उल्लिखित वित्तीय निरुत्साहन लगाने के अलावा प्राधिकरण, बिना किसी पूर्वाग्रह के भादूविप्रा अधिनियम, 1997 के प्रावधानों के अनुसार किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केन्द्रीय सरकार को उचित कार्रवाई करने की अनुशंसा कर सकता है,

(घ) किसी प्रावधान के निरंतर उल्लंघन के मामले में, अर्थात ऐसा उल्लंघन जिसे सुधार के लिए प्राधिकरण द्वारा दी गई समय-सीमा के भीतर ठीक नहीं किया जाता है, पहले तीस दिनों के लिए प्रति दिन दो हजार रुपये का वित्तीय निरुत्साहन और तीस दिनों के बाद प्रति दिन पांच हजार रुपये का वित्तीय निरुत्साहन, आदेश में निर्दिष्ट अनुपालन की अंतिम तिथि से, अनुपालन के लिए आदेश में पहले से निर्दिष्ट वित्तीय निरुत्साहन के अलावा लगाया जाएगा।

(अतुल कुमार चौधरी)
सचिव, भादूविप्रा

टिप्पणी 1.----दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं (आठवां) (एड्रेसेबल प्रणालियां) टैरिफ आदेश, 2017 (2017 का 1) भारत के राजपत्र, विशेष, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्या 21-1/2016-बी एंड सीएस दिनांक 3 मार्च, 2017 के तहत प्रकाशित किया गया था और बाद में अधिसूचना संख्या 1-2/2017-बी एंड सीएस दिनांक 30 मार्च, 2017, संख्या 21-01/2019-बी एंड सीएस दिनांक 1 जनवरी 2020 और संख्या आरजी-8/1/(9)/2021-बी और सीएस(1 और 3) दिनांक 22 नवंबर 2022 द्वारा संशोधित किया गया।

टिप्पणी 2.---- इस आदेश के परिशिष्ट क में व्याख्यात्मक ज्ञापन दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (आठवां) (एड्रेसेबल सिस्टम) टैरिफ (चौथा संशोधन) आदेश, 2024 के उद्देश्यों और कारणों की व्याख्या करता है।

परिशिष्ट 'क'

व्याख्यात्मक ज्ञापन

<u>परिचय और पृष्ठभूमि</u>

1. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने प्रसारण एवं केबल टीवी क्षेत्र के व्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करने के लिए 3 मार्च, 2017 को परामर्श प्रक्रिया के पश्चात नए विनियामक ढांचे को अधिसूचित किया। भारत में केबल टीवी नेटवर्क के पूर्ण डिजिटलीकरण के कारण यह आवश्यक हो गया था। ढांचे में निम्नलिखित टैरिफ आदेश और विनियम शामिल हैं:

   i. दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं (आठवां) (एड्रेसेबल प्रणालियां) टैरिफ आदेश, 2017 (टैरिफ आदेश 2017);
   ii. दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं अंतःसंयोजन (एड्रेसेबल प्रणालियां) विनियम, 2017 (अंतःसंयोजन विनियम, 2017);
   iii. दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं, सेवा की गुणवत्ता और उपभोक्ता संरक्षण (एड्रेसेबल प्रणालियां) विनियम, 2017 (सेवा की गुणवत्ता विनियम, 2017) ।

   इसके बाद, उपरोक्त दो विनियमों और टैरिफ आदेश को सामूहिक रूप से 'ढांचे' के रूप में संदर्भित किया जाता है।

2. हालाँकि, कानूनी चुनौतियों के कारण प्रस्तावित समय-सीमा के अनुसार ढांचे को लागू नहीं किया जा सका। माननीय उच्च न्यायालय मद्रास और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कानूनी जांच से गुजरने के बाद, 'ढांचा' 29 दिसंबर 2018 से प्रभावी हुआ। सामूहिक रूप से तीन निर्धारणों ने इस क्षेत्र के लिए विनियामक ढांचे को पूरी तरह से बदल दिया। क्षेत्र के आकार तथा संरचना और 'ढांचे' में होने वाले परिवर्तनों को देखते हुए, यह स्वाभाविक था कि कुछ क्षणिक मुद्दे उत्पन्न हो सकते थे।

3. फ्रेमवर्क 2017 के कार्यान्वयन के दौरान सामने आए मुद्दों के समाधान के लिए, प्राधिकरण ने उचित परामर्श के बाद दिनांक 1 जनवरी 2020 को विनियामक ढांचे 2017 में निम्नलिखित संशोधनों को अधिसूचित किया। भादूविप्रा ने दिनांक 1 जनवरी 2020 को विनियामक ढांचे 2017 में निम्नलिखित संशोधनों को अधिसूचित किया:
   क. दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं (आठवां) (एड्रेसेबल सिस्टम) टैरिफ (दूसरा संशोधन) आदेश, 2017 (टैरिफ संशोधन आदेश 2020)
   ख. दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल प्रणालिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2017 (अंतर्संयोजन संशोधन विनियम, 2020)

ग. दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवाएं, सेवा की गुणवत्ता और उपभोक्ता संरक्षण (एड्रेसेबल प्रणालियां)) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2017 (सेवा की गुणवत्ता संशोधन विनियम, 2020)

इसके बाद, उपरोक्त संशोधनों को सामूहिक रूप से 'संशोधित ढांचे 2020' के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

4. कुछ हितधारकों ने संशोधन ढांचे 2020 को चुनौती दी। नेटवर्क क्षमता शुल्क (एनसीएफ), मल्टी टीवी घरों के लिए एनसीएफ और दीर्घकालिक सब्सक्रिप्शन से संबंधित संशोधित ढांचे 2020 के प्रावधानों को ऑल इंडिया डिजिटल केबल फेडरेशन (एआईडीसीएफ) और अन्य ने केरल उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। हालांकि, इन्हें केरल के माननीय उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेशों के बाद अप्रैल 2020 में विधिवत लागू किया गया था। 12 जुलाई 2021 के अपने अंतिम फैसले में, माननीय उच्च न्यायालय ने टैरिफ संशोधन आदेश, 2020 द्वारा पेश किए गए संशोधनों को बरकरार रखा।

5. इसके साथ ही, कुछ प्रसारकों और अन्य हितधारकों ने रिट याचिका (एल) संख्या 116/2020 और उससे जुड़े अन्य मामलों के माध्यम से माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय सहित विभिन्न उच्च न्यायालयों में टैरिफ संशोधन आदेश 2020, इंटरकनेक्शन संशोधन विनियम 2020 और क्यूओएस संशोधन विनियम 2020 के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती दी।

6. माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 30 जून 2021 के अपने निर्णय के माध्यम से टैरिफ संशोधन आदेश 2020 के खंड 3 के उप-खंड (3) के तीसरे प्रावधान में प्रदान की गई औसत परीक्षण की शर्त को छोड़कर संशोधित फ्रेमवर्क 2020 की वैधता को बरकरार रखा।

7. बॉम्बे उच्च न्यायालय में याचिकाकर्ताओं ने भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिकाएँ (एसएलपी) दायर कीं, जिसमें बॉम्बे में माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 30 जून 2021 के निर्णय को चुनौती दी गई। इस मामले की सुनवाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18 अगस्त 2021 को की गई। हालाँकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई अंतरिम राहत नहीं दी गई।

8. इसके बाद 15 फरवरी 2022 को याचिकाकर्ताओं ने एसएलपी वापस लेने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा प्रस्तुत किया। उसी दिन माननीय न्यायालय ने एसएलपी वापस लेने की अनुमति प्रदान की और निम्नलिखित आदेश पारित किया:

"*विशेष अनुमति याचिकाएं वापस लिए जाने के कारण खारिज की जाती हैं। कानून के सभी प्रश्न खुले रखे गए हैं।*"

9. इस बीच, यह देखते हुए कि माननीय बॉम्बे कोर्ट के फैसले पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई अंतरिम राहत नहीं दी गई थी, प्राधिकरण ने 12 अक्टूबर 2021 को सभी प्रसारकों को एक पत्र जारी किया, जिसमें माननीय बॉम्बे कोर्ट द्वारा बरकरार रखे गए संशोधित फ्रेमवर्क 2020 के प्रावधानों का 10 दिनों के भीतर अनुपालन करने की मांग की

गई। नतीजतन, अधिकांश प्रसारकों ने 'संशोधित फ्रेमवर्क 2020' के अनुपालन में भादूविप्रा को अपने रेफरेंस इंटरकनेक्ट ऑफर (आरआईओ) प्रस्तुत किए और नवंबर 2021 में इन्हें अपनी वेबसाइटों पर प्रकाशित भी किया।

10. प्रमुख प्रसारकों द्वारा घोषित नए टैरिफ में एक सामान्य प्रवृत्ति परिलक्षित हुई, अर्थात, खेल चैनलों सहित उनके सबसे लोकप्रिय चैनलों की कीमतें 20 रुपये प्रति माह से अधिक बढ़ा दी गईं। बुके में पे चैनलों को शामिल करने के संबंध में मौजूदा प्रावधानों का अनुपालन करते हुए, 12 रुपये (प्रति माह) से अधिक कीमत वाले सभी चैनलों को बुके से बाहर रखा गया और केवल ए-ला-कार्टे आधार पर पेश किया गया। दायर किए गए संशोधित आरआईओ ने लगभग सभी पेश किए जा रहे बुके की संरचना में व्यापक पैमाने पर बदलाव का संकेत दिया।

11. नए टैरिफ घोषित होने के तुरंत बाद, भादूविप्रा को वितरण प्लेटफॉर्म ऑपरेटरों (डीपीओ), स्थानीय केबल ऑपरेटरों के संघों (एलसीओ) और उपभोक्ता संगठनों से ज्ञापन प्राप्त हुए। डीपीओ ने अपने आईटी सिस्टम में नई दरों को लागू करने और विकल्पों के सूचित प्रयोग के माध्यम से उपभोक्ताओं को बड़ी संख्या में नई टैरिफ व्यवस्था में स्थानांतरित करने में उनके सामने आने वाली कठिनाइयों को भी उजागर किया, जिसका असर लगभग सभी बुके पर पड़ा, क्योंकि प्रसारकों द्वारा घोषित पे चैनलों और बुके की दरों में ऊपर की ओर संशोधन किया गया।

12. अभ्यावेदनों में उठाए गए मुद्दों को संबोधित करने के लिए, भादूविप्रा ने औपचारिक/अनौपचारिक बातचीत के माध्यम से हितधारकों के साथ जुड़ना शुरू कर दिया। चर्चा का उद्देश्य संशोधित फ्रेमवर्क 2020 के लंबित प्रावधानों के सुचारू कार्यान्वयन को सुगम बनाना था। भादूविप्रा पर यह सुनिश्चित करने का दायित्व था कि पे टेलीविज़न सेवाओं में कोई बड़ी बाधा न आए।

13. एलसीओ के अभ्यावेदनों ने फ्री डिश (डिश एंटीना की स्थापना को छोड़कर उपभोक्ताओं के लिए कोई लागत नहीं) और वीडियो ऑन डिमांड (वीओडी), जिसे ओटीटी (ओवर-द-टॉप) सेवाओं के रूप में जाना जाता है, की बढ़ती लोकप्रियता के कारण लीनियर टीवी की सब्सक्रिप्शन पर प्रतिकूल प्रभाव को भी उजागर किया। उपभोक्ता संगठनों ने प्रसारकों द्वारा दायर प्रस्तावित आरआईओ के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप लोकप्रिय चैनलों की कीमत में वृद्धि के कारण उनकी सब्सक्रिप्शन में संभावित वृद्धि को उजागर किया।

14. उपरोक्त के मद्देनजर, हितधारकों ने भादूविप्रा से दर्शकों की संख्या सहित क्षेत्र के विकास की सुरक्षा के लिए विनियामक ढांचे के लंबित प्रावधानों के कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न होने वाले कुछ मुद्दों को हल करने के लिए तत्काल उपाय करने का अनुरोध किया।

[1]https://main.sci.gov.in/supremecourt/2021/15611/15611_2021_2_11_33436_Order_15-Feb-2022.pdf

15. लगभग सभी हितधारकों ने कहा कि प्रसारकों द्वारा घोषित टैरिफ उपभोक्ताओं की पेशकश में बड़े पैमाने पर बदलाव लाएंगे। डीपीओ/एलसीओ को संभवतः प्रत्येक उपभोक्ता से संशोधित विकल्प प्राप्त करने होंगे। हितधारकों ने भादूविप्रा से संशोधित रूपरेखा 2020 के सुचारू कार्यान्वयन को सक्षम करने का अनुरोध किया। इसके अलावा, कुछ हितधारकों ने सुझाव दिया कि उपभोक्ताओं के लिए संभावित व्यवधान से बचने के लिए, संशोधित रूपरेखा 2020 के कुछ प्रावधानों में संशोधन पर विचार किया जा सकता है।

16. नए विनियामक ढांचे 2020 के लंबित कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श करने और आगे का रास्ता सुझाने के लिए, भादूविप्रा के तत्वावधान में भारतीय प्रसारण और डिजिटल फाउंडेशन (आईबीडीएफ), अखिल भारतीय डिजिटल केबल फेडरेशन (एआईडीसीएफ) और डीटीएच एसोसिएशन के सदस्यों वाली एक समिति का गठन किया गया था। समिति के विचारणीय विषय निम्नलिखित थे:

    1. उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नए विनियामक ढांचे 2020 के सुचारू कार्यान्वयन की प्रक्रिया पर विचार करना तथा उसके लिए उपाय सुझाना (यदि कोई हो)।
    2. चिंता संबंधी मुद्दों की पहचान करना तथा प्रसारण क्षेत्र के समग्र विकास के लिए उपाय सुझाना।

17. समिति का उद्देश्य टैरिफ संशोधन आदेश 2020 के सुचारू कार्यान्वयन के लिए एक आम सहमति वाले मार्ग पर आने के लिए विभिन्न हितधारकों के बीच एक मंच प्रदान करना और चर्चा को सुविधाजनक बनाना था। हितधारकों को उपभोक्ताओं के लिए न्यूनतम व्यवधान या परेशानी के साथ कार्यान्वयन योजना के साथ आने का सुझाव दिया गया।

18. समिति ने 23 दिसंबर 2021 को विचार-विमर्श किया। हितधारकों ने निम्नलिखित मुद्दों को सूचीबद्ध किया, जिनकी उनकी राय में समीक्षा की आवश्यकता है:

    क. एनटीओ 2.0 टैरिफ आदेशों के अनुपालन में प्रस्तुत अपने आरआईओ के माध्यम से प्रसारकों द्वारा प्रस्तावित टैरिफ उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ में उल्लेखनीय वृद्धि का कारण बनेंगे। उपभोक्ता मूल्य वृद्धि, यदि कोई हो, को एक उचित सीमा तक सीमित किया जाना आवश्यक है।

    ख. प्रसारकों द्वारा प्रस्तावित आरआईओ पैकेजों में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं, विशेष रूप से लोकप्रिय चैनलों को उच्च ए-ला-कार्टे कीमतों पर रखने के कारण, जो कि बुके का हिस्सा नहीं हैं। यह डीपीओ को बहुत बड़ी संख्या में प्लान और पैकेज ऑफर करने के लिए बाध्य करता है। इसलिए, डीपीओ को प्रसारकों से समर्थन की आवश्यकता है ताकि उन्हें बड़ी संख्या में प्लान/बुके न बनाने पड़ें।

ग. ऊपर वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, उपभोक्ताओं द्वारा विकल्पों का प्रयोग करने की प्रक्रिया को सरल बनाने की आवश्यकता है ताकि स्पष्ट सहमति के बिना उपभोक्ताओं को कोई भी चैनल प्रदान न किया जाए। उपभोक्ताओं को किसी भी चैनल को हटाने की सुविधा होनी चाहिए।

घ. एक ही उत्पाद (टेलीविजन चैनल) को एक ही कीमत पर पेश किया जाना चाहिए, चाहे वह लीनियर टेलीविजन हो, फ्री डिश हो या सब्सक्रिप्शन आधारित वीडियो ऑन डिमांड।

ङ. हितधारकों ने सुझाव दिया कि हालांकि एनटीओ 2.0 संशोधनों के बाद से दो साल से अधिक समय बीत चुका है और एनटीओ 1.0 कार्यान्वयन के साथ तीन साल से अधिक समय बीत चुका है, तब से, बुके या ए-ला-कार्टे चैनलों की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसने अंतिम उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद प्रदान करने के मामले में उद्योग को तनाव में रखा है। ऐसे में बुके समावेशन के लिए एमआरपी की अधिकतम सीमा को बिना संशोधित टैरिफ आदेश स्तर उन्नीस (19/-) पर बहाल करना उचित होगा।

च. उपरोक्त प्रावधान से यह सुनिश्चित करके बुके संरचना को बनाए रखने में भी मदद मिलेगी कि सभी लोकप्रिय चैनल बुके की अधिकतम सीमा के भीतर हों। इसके अतिरिक्त, इससे उपभोक्ताओं को नए टैरिफ के तहत अपनी पसंद का चयन करने में न्यूनतम परेशानी होगी, क्योंकि अधिकांश टैरिफ अपने मौजूदा स्वरूप में जारी रह सकते हैं।

छ. बुके के लिए डीपीओ को अतिरिक्त पंद्रह (15%) प्रतिशत प्रोत्साहन की अनुमति देना, जैसा कि ए-ला-कार्टे चैनल के लिए प्रदान किया गया है (अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि उक्त प्रावधान इंटरकनेक्शन विनियमों से संबंधित है और टैरिफ ऑर्डर का हिस्सा नहीं है)।

ज. बुके का हिस्सा बनने वाले ए-ला-कार्टे पे चैनलों के एमआरपी के योग पर छूट को बढ़ाकर पचास प्रतिशत करने के लिए दूसरी दोहरी शर्त की समीक्षा की जा सकती है। इससे प्रसारकों को पैकेजों को क्रॉस-सब्सिडी देने में मदद मिलेगी।

झ. 130/- रुपये की नेटवर्क क्षमता शुल्क (एनसीएफ) की अधिकतम सीमा में संशोधन।

ञ. मल्टी-टीवी घरों के मामले में, प्रसारकों को पहले टीवी कनेक्शन के बाद प्रत्येक अतिरिक्त टीवी कनेक्शन के लिए अपने चैनलों की एमआरपी भी पहले टीवी कनेक्शन के लिए घोषित एमआरपी के 40% की दर से देनी चाहिए। इससे उपभोक्ताओं को कई टेलीविजन पर पे चैनल सब्सक्राइब करने की लागत बचाने में मदद मिलेगी।

ट. डीपीओ के लिए उपलब्ध उस बुके के एमआरपी के ए-ला-कार्टे चैनलों की राशि पर छूट की पंद्रह प्रतिशत (15%) की सीमा की समीक्षा।

ठ. हितधारकों ने सुझाव दिया कि भादूविप्रा को तत्काल सुधारात्मक उपाय करने चाहिए और दिनांक 1 अप्रैल 2022 तक संशोधित टैरिफ लागू करना चाहिए। उपस्थित सभी डीपीओ ने जोर देकर कहा कि नए टैरिफ को ठीक से लागू करने के लिए उन्हें निर्धारित समय की आवश्यकता होगी।

19. हालांकि, हितधारकों की समिति ने भादूविप्रा से महत्वपूर्ण मुद्दों का तुरंत समाधान करने का अनुरोध किया ताकि टैरिफ संशोधन आदेश 2020 के कार्यान्वयन में उपभोक्ताओं को कम से कम कठिनाई हो। हितधारकों ने भादूविप्रा द्वारा बाद में विचार के लिए अन्य मुद्दों को भी सूचीबद्ध किया। हितधारकों की समिति के सभी सदस्यों ने पाया कि सुचारू संक्रमण का प्रबंधन करने और उपभोक्ताओं को असुविधा से बचाने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है।

20. हितधारकों की समिति द्वारा पहचाने गए मुद्दों को हल करने के लिए; भादूविप्रा ने दिनांक 7 मई 2022 को 'प्रसारण और केबल सेवाओं के लिए नए विनियामक ढांचे से संबंधित मुद्दों' पर परामर्श पत्र जारी किया, ताकि 'संशोधित फ्रेमवर्क 2020' के कार्यान्वयन के लिए लंबित बिंदुओं / मुद्दों पर हितधारकों की टिप्पणियां मांगी जा सकें।

21. उचित परामर्श प्रक्रिया का पालन करने के बाद, दिनांक 22 नवंबर 2022 को प्राधिकरण ने दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (आठवां) (एड्रेसेबल सिस्टम) टैरिफ (तीसरा संशोधन) आदेश, 2022 और दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) (चौथा संशोधन) विनियम, 2022 को अधिसूचित किया, जिसमें निम्नलिखित मुद्दे शामिल हैं:

क. टीवी चैनलों की एमआरपी पर रियायत जारी रहेगी।
ख. बुके में शामिल करने के लिए टीवी चैनल की एमआरपी पर 19/- रुपये की अधिकतम सीमा तय की जाएगी।
ग. बुके बनाते समय अलग-अलग चैनलों की कीमत के योग पर 45% की छूट दी जाएगी।
घ. बुके पर ब्रॉडकास्टर द्वारा 15% का अतिरिक्त प्रोत्साहन भी दिया जाएगा।

22. हितधारकों की समिति ने भादूविप्रा द्वारा बाद में विचार के लिए कई अन्य मुद्दों को भी सूचीबद्ध किया। इसके अलावा, प्राधिकरण ने प्रसारकों, एमएसओ, डीटीएच ऑपरेटरों और एलसीओ के प्रतिनिधियों के साथ कई बैठकें कीं। प्रस्तावित परामर्श पत्र में शामिल करने के लिए इन बैठकों के दौरान कई मुद्दे सामने रखे गए।
23. हितधारकों की समिति द्वारा पहचाने गए और अन्य हितधारकों द्वारा सुझाए गए प्रसारण और केबल सेवाओं के टैरिफ, इंटरकनेक्शन और सेवा की गुणवत्ता से संबंधित शेष मुद्दों को संबोधित करने के लिए, भादूविप्रा ने हितधारकों की टिप्पणियों के लिए 8 अगस्त 2023 को “प्रसारण और केबल सेवाओं के लिए विनियामक ढांचे की समीक्षा” पर परामर्श

पत्र जारी किया। हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों और प्रति टिप्पणियों को भादूविप्रा की वेबसाइट पर रखा गया। इसके बाद 18 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में एक ओपन हाउस चर्चा हुई।

24. जहां तक प्रसारण और केबल सेवाओं के लिए टैरिफ से संबंधित मुद्दों का सवाल है, प्राधिकरण ने परामर्श के लिए व्यापक रूप से निम्नलिखित मुद्दे रखे थे:

    क. नेटवर्क क्षमता शुल्क (एनसीएफ) की अधिकतम सीमा
    ख. मल्टी-टीवी घरों के लिए नेटवर्क क्षमता शुल्क
    ग. डीपीओ द्वारा बुके के डीआरपी को तय करने के लिए ए-ला-कार्टे चैनलों के डीआरपी के योग पर छूट पर 15% की अधिकतम सीमा
    घ. एक एचडी चैनल के बराबर एसडी चैनलों की संख्या
    ङ. डीपीओ द्वारा बनाए गए सभी पैक में अनिवार्य एफटीए चैनल
    च. डीडी फ्री डिश से संबंधित मुद्दे
    छ. वित्तीय निरुत्साहन

<u>हितधारकों की टिप्पणियाँ और मुद्दों का विश्लेषण</u>

<u>क. नेटवर्क क्षमता शुल्क (एनसीएफ) की अधिकतम सीमा</u>

25. टैरिफ आदेश 2017 में 200 एसडी चैनल प्रसारित करने के लिए अधिकतम 130 रुपये का एनसीएफ निर्धारित किया गया है। परामर्श पत्र में हितधारकों से पूछा गया कि क्या एनसीएफ के लिए 130 रुपये की वर्तमान सीमा का पुनर्मूल्यांकन और संशोधन किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, उनसे यह सुझाव देने के लिए कहा गया कि क्या एनसीएफ की सीमा को पूरी तरह से हटा दिया जाना चाहिए।

26. इसके जवाब में, एमएसओ और उनके एसोसिएशन सहित कई हितधारक, डीटीएच ऑपरेटर, समाचार प्रसारकों के एसोसिएशन, एलसीओ एसोसिएशन, कुछ उद्योग एसोसिएशन और एक व्यक्ति सहित कई हितधारक वर्तमान एनसीएफ को ऊपर की ओर संशोधित करने के पक्ष में हैं और उन्होंने उल्लेख किया है कि एनसीएफ की सीमा को हटा दिया जाना चाहिए। उन्होंने अपनी राय के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए:

---

[2] दिनांक 8 अगस्त 2023 को "प्रसारण और केबल सेवाओं के लिए विनियामक ढांचे की समीक्षा" पर परामर्श पत्र

- एनसीएफ का निर्धारण बाजार की ताकतों पर छोड़ दिया जाना चाहिए क्योंकि बाजार में पर्याप्त प्रतिस्पर्धा है और एनसीएफ पर सीमा हटा दी जानी चाहिए।

- सीमा तय करते समय, प्राधिकरण ने माना कि औसतन डीपीओ ग्राहकों को 300 चैनल प्रदान कर रहे थे, हालांकि, लगभग हर डीपीओ 450-550 से अधिक चैनल प्रदान करता है। लगभग 26 पैसे प्रति चैनल की वहन लागत डीपीओ के लिए व्यावसायिक रूप से अव्यवहारिक है।
- वर्ष 2017 में 110 मिलियन से 65 मिलियन तक ग्राहक आधार में कमी के कारण प्रति ग्राहक लागत में भी काफी वृद्धि हुई है।
- एनसीएफ में न केवल पूंजीगत व्यय बल्कि परिचालन व्यय जैसे परिसर का किराया, कर्मचारियों का वेतन, नेटवर्क की मरम्मत और रखरखाव और बिजली, पानी, मूल्यह्रास जैसे अन्य खर्च भी शामिल हैं।
- एनसीएफ की सीमा डीपीओ की व्यावसायिक संचालन को सुचारू और प्रतिस्पर्धी तरीके से करने की क्षमता को प्रतिबंधित करती है।
- चैनलों की संख्या चाहे जितनी भी हो, एसडी चैनलों के लिए अधिकतम सीमा 170 रुपये और एचडी चैनलों के लिए अधिकतम सीमा 210 रुपये निर्धारित की जानी चाहिए।
- एनसीएफ केबल टीवी के कुल एमआरपी का एक हिस्सा है। यदि मुद्रास्फीति के कारण एनसीएफ को वार्षिक आधार पर संशोधित नहीं किया जाता है, तो इससे डीपीओ के शुद्ध लाभ और उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सेवा की समग्र गुणवत्ता पर असर पड़ेगा।
- प्रसारण और वितरण क्षेत्र की बदलती गतिशीलता और पिछले कुछ वर्षों में मुद्रास्फीति के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए पहले 200 चैनलों के लिए NCF की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 150 रुपये किया जाना चाहिए।

27. एक डीटीएच ऑपरेटर ने कहा कि अलग-अलग प्लेटफॉर्म को एक समान तरीके से विनियमित करने से उनकी अलग-अलग लागत संरचना और व्यवसाय मॉडल पर ध्यान नहीं दिया जाता। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि डीपीओ को बाजार विश्लेषण और समायोजन की अनुमति देते हुए हर छह महीने में एनसीएफ की समीक्षा करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

28. कुछ प्रसारकों सहित कुछ हितधारकों, प्रसारकों के संघ और एक व्यक्ति सहित कुछ हितधारक वर्तमान एनसीएफ को नीचे की ओर संशोधित करने के पक्ष में थे और उन्होंने अपनी राय का समर्थन करने के लिए निम्नलिखित तर्क दिए:
    - एनसीएफ उपभोक्ता मूल्य का एक बड़ा हिस्सा है जो औसत अंतिम उपभोक्ता भुगतान का 50% से अधिक योगदान देता है और एनसीएफ में कोई भी वृद्धि अंतिम उपभोक्ता पर बोझ डालेगी। इससे वे अन्य प्लेटफार्मों पर चले जाएंगे जो पूरे प्रसारण उद्योग के लिए हानिकारक है।
    - एनसीएफ के अलावा, एक डीपीओ को प्रत्येक चैनल के एमआरपी मूल्य से 20% का एक निश्चित वितरण शुल्क, कैरिज शुल्क, छूट/प्रोत्साहन और प्लेसमेंट शुल्क से राजस्व भी मिलता है। इसलिए, एनसीएफ को कम करना उचित और न्यायसंगत होगा।
    - एक उच्च एनसीएफ, उपभोक्ताओं को अधिक चैनलों की सब्सक्रिप्शन लेने से रोकता है, इस प्रकार मनोरंजन की पूरी दुनिया से वंचित रह जाता है।

- किसी भी डीपीओ द्वारा अपने प्लेटफॉर्म पर चैनल चलाने के लिए किया गया व्यय/लागत एकमुश्त पूंजीगत व्यय है और प्रकृति में गैर-आवर्ती है और इसलिए, आदर्श रूप से एनसीएफ में संशोधन का कोई औचित्य नहीं होना चाहिए।
- इसने डीपीओ के लिए छोटे प्रसारकों से कैरिज शुल्क वसूलने का अवसर पैदा कर दिया है और डीपीओ को पे टीवी चैनल प्रसारित करने से हतोत्साहित किया है।

29. एक हितधारक ने कहा कि डिजिटलीकरण के साथ, चैनलों की संख्या के आधार पर एनसीएफ के स्लैब निर्धारित करना व्यावहारिक नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया कि उपभोक्ता द्वारा चुने जाने वाले चैनलों की संख्या 200 हो या 200 से अधिक, एक समान एनसीएफ होना चाहिए।

30. इसके अलावा, कुछ हितधारकों ने कहा कि ऑफ़लाइन/ऑनलाइन उपलब्ध अधिकांश उत्पादों में उत्पाद की कीमत में निश्चित और परिवर्तनीय लागत शामिल होती है। एनसीएफ को चैनल की कीमत का ही एक हिस्सा माना जा सकता है। चैनल मूल्य निर्धारण में एनसीएफ को समायोजित करने के लिए, उन्होंने सुझाव दिया कि भादूविप्रा चैनल मूल्य की सीमा बढ़ा सकता है।

31. कुछ हितधारकों का मानना है कि वर्तमान एनसीएफ में संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपनी राय के समर्थन में निम्नलिखित तर्क दिए:
    - 130 रुपये की वर्तमान अधिकतम सीमा उचित विचार-विमर्श के बाद तय की गई है और यह उचित दर प्रतीत होती है, इसलिए इसमें संशोधन नहीं किया जाना चाहिए।
    - एनसीएफ सब्सक्रिप्शन राजस्व का एक महत्वपूर्ण घटक है जो बुनियादी ढांचे और उसके रखरखाव की लागत को पहचानता है और वितरण संस्थाओं (एलसीओ/एलएमओ और डीपीओ) को उचित मुआवजा प्रदान करता है।
    - एनसीएफ में बार-बार संशोधन से ग्राहक स्तर पर भ्रम की स्थिति पैदा होगी और डीपीओ/एलसीओ द्वारा गलत बयानी की जाएगी। औसत एनसीएफ वर्तमान में निर्धारित की गई सीमा से कम है और इसलिए बाजार की ताकतें काम कर रही हैं।
    - सीएएस और शुरू में डीएएस में एलसीओ को पूरा एनसीएफ मिलता था। अब इसे अल्पसंख्यक राजस्व हिस्सेदारी तक घटा दिया गया है, जो एलसीओ जैसे छोटे व्यवसायियों के लिए अनुचित और अन्यायपूर्ण है।
    - एनसीएफ की वर्तमान अधिकतम सीमा वही रहनी चाहिए और धीरे-धीरे इसमें रियायत की ओर बढ़ना चाहिए। इसके अलावा, एक व्यक्ति ने कहा कि एनसीएफ/चैनल/बुके एमआरपी कैपिंग आवश्यक है ताकि टीवी चैनल किफायती कीमतों पर उपलब्ध हो सकें।

32. इसके अलावा, हितधारकों से यह भी पूछा गया कि क्या भादूविप्रा को संशोधित सीमा तक पहुंचने के लिए आवधिक आधार पर एनसीएफ के संशोधन के लिए किसी सूचकांक (जैसे सीपीआई/डब्ल्यूपीआई/जीडीपी डिफ्लेटर) का पालन करना

चाहिए। कुछ हितधारकों ने सुझाव दिया कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) का उपयोग एनसीएफ के संशोधन के लिए किया जाना चाहिए और अपने तर्कों का समर्थन करने के लिए, उन्होंने निम्नलिखित तर्क और टिप्पणियाँ प्रदान कीं:

- उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति को मापने के लिए सीपीआई एक व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला सूचकांक है और यह एक उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में काम कर सकता है।
- एनसीएफ पर कैपिंग को हटाया जाना चाहिए और इसे चैनलों की संख्या से जोड़ा जाना चाहिए जैसा कि 2017 के विनियमन में वृद्धिशील एनसीएफ के लिए निर्धारित किया गया था और साथ ही इसे सीपीआई सूचकांक से जोड़ा जाना चाहिए।
- सीपीआई एक समग्र सूचकांक है जो सेवाओं पर भी विचार करता है और चूंकि इनपुट मुख्य रूप से सेवाओं से मिलकर बने होते हैं, इसलिए डब्ल्यूपीआई के बजाय इसे आधार के रूप में उपयोग करें।
- इस तरह के विनियमन में एक अंतर्निहित और स्वचालित तंत्र होना चाहिए ताकि कैपिंग उद्देश्यों के लिए डब्ल्यूपीआई / सीपीआई से जुड़े एनसीएफ में वृद्धि की अनुमति दी जा सके और ये संशोधन हर दो साल में किए जाने चाहिए।
- भारत में मुद्रास्फीति की दर पिछले दो वर्षों में क्रमशः 5.13% और 6.70% रही है।
- एनसीएफ की सीमा तय किए हुए 4 साल से अधिक समय हो चुका है। मुद्रास्फीति दरों को ध्यान में रखते हुए एनसीएफ दर को समय-समय पर संशोधित किए जाने की आवश्यकता है।

33. कुछ हितधारकों ने सुझाव दिया है कि संशोधित सीमा तक पहुंचने के लिए जीडीपी डिफ्लेटर का उपयोग किया जाना चाहिए, और उन्होंने अपने तर्क का समर्थन करने के लिए निम्नलिखित तर्क दिए:
    - लागू करने के लिए सबसे तार्किक और विश्वसनीय आधार केवल वार्षिक आधार पर औसत जीडीपी डिफ्लेटर है क्योंकि इस सूचकांक की गणना और प्रकाशन भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता है।
    - अन्य दो सूचकांक, यानी सीपीआई और डब्ल्यूपीआई को ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए क्योंकि वे बहुत बार-बार बदल सकते हैं।
    - यह मुद्रास्फीति का एक अधिक व्यापक उपाय है और उत्पादों की एक बहुत व्यापक श्रेणी पर विचार करता है जिसमें सेवाएँ भी शामिल हैं और यह केवल वस्तुओं की एक निश्चित टोकरी पर आधारित नहीं है।
    - जीडीपी डिफ्लेटर या अन्य आर्थिक सूचकांकों का उपयोग करने से आर्थिक परिवर्तनों पर एक व्यापक परिप्रेक्ष्य मिल सकता है जो सेवाओं के मूल्य निर्धारण को प्रभावित कर सकते हैं।
    - चुने गए सूचकांक को ऐसी आवृत्ति पर अपडेट किया जाना चाहिए जो एनसीएफ के लिए वांछित संशोधन चक्र के साथ संरेखित हो।

34. कुछ हितधारकों ने सुझाव दिया है कि एनसीएफ को तुरंत 40% तक बढ़ाया जाना चाहिए और उसके बाद सीपीआई सूचकांक के अनुसार आवधिक आधार पर संशोधित किया जाना चाहिए क्योंकि केबल टेलीविजन बुनियादी ढांचे को बनाए रखने में परिचालन लागत में भी 40% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

35. एक हितधारक की राय है कि संशोधन की आवधिकता हर 5 साल में एक बार होनी चाहिए। समूह ने डब्ल्यूपीआई की वकालत की, जो सीपीआई की तुलना में मुद्रास्फीति का बेहतर उपाय है।

36. एक अन्य हितधारक ने कहा है कि भादूविप्रा को ऐसे गतिशील कारकों के प्रभाव का मानचित्रण करने के लिए एक अध्ययन करना चाहिए, जो ग्राहकों के घरों में सिग्नल प्रदान करने के लिए डीपीओ द्वारा वहन की जाने वाली लागतों पर पड़ता है।

37. इसके अलावा, हितधारकों से यह भी टिप्पणी करने के लिए कहा गया कि क्या डीपीओ को राज्य/शहर/कस्बे/गांव के लिए और उसके भीतर अलग-अलग बुके/योजनाओं के लिए परिवर्तनीय एनसीएफ रखने की अनुमति दी जानी चाहिए, साथ ही उनके विचारों के विस्तृत औचित्य भी बताए जाने चाहिए।

38. जवाब में, कुछ हितधारक, मुख्य रूप से डीटीएच ऑपरेटर, डीपीओ को राज्य/शहर/कस्बे/गांव के भीतर अलग-अलग बुके/योजनाओं के लिए परिवर्तनीय एनसीएफ रखने की अनुमति देने के पक्ष में हैं। उन्होंने अपनी राय के समर्थन में निम्नलिखित तर्क दिए:
    - परिवर्तनशील एनसीएफ को लागू करने से बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा, विविध उपभोक्ता आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा और उपभोक्ताओं के लिए अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे।
    - विभिन्न प्राथमिकताओं वाले ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए - एक विनियमित/निश्चित एनसीएफ एक चुनौती है क्योंकि डीपीओ अपनी योजनाओं को ग्राहकों की अपेक्षाओं के अनुरूप बनाने में असमर्थ हैं।
    - एनसीएफ की समान राशि उन ग्राहकों के लिए अवांछनीय उच्च पैकेज के रूप में कार्य कर सकती है जिन्होंने कम सामग्री वाले कम मूल्य वाले पैक की सब्सक्रिप्शन ली है, उन ग्राहकों की तुलना में जिन्होंने उच्च मूल्य वाले पैक लिए हैं।
    - ग्राहकों के एक खंड या वर्ग के आधार पर एक अलग एनसीएफ बनाने के लिए लचीलेपन की अनुमति दी जानी चाहिए, जो न्यायोचित, उचित और गैर-भेदभावपूर्ण मानदंड के आधार पर बनाया गया है।
    - किसी विशेष भौगोलिक स्थान पर स्थित उपभोक्ता को केवल डीपीओ द्वारा उसके संबंध में किए गए एनसीएफ की वास्तविक लागत का भुगतान करना चाहिए, न कि एक समान शुल्क का भुगतान करना चाहिए जो डीपीओ द्वारा किए गए परिवर्तनीय लागतों को क्रॉस सब्सिडी देता है।

- उपभोक्ता द्वारा चुने गए बुके/प्लान के आधार पर एनसीएफ के मूल्य निर्धारण में लचीलापन प्रदान करने से उपभोक्ता की पसंद और इस सिद्धांत को बढ़ावा मिलता है कि उपभोक्ता को केवल उसके द्वारा चुने गए विकल्प के लिए ही भुगतान करना चाहिए।
- परिवर्तनशील एनसीएफ के लिए, क्षेत्रों को डीएएस-I, डीएएस-II, डीएएस-III और डीएएस-IV क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है क्योंकि इन क्षेत्रों में ग्राहकों की सामर्थ्य और जनसांख्यिकी अलग-अलग हैं। इस तरह के वर्गीकरण से डीपीओ को ग्राहकों को बेहतर सेवा देने में मदद मिलेगी।

39. कुछ हितधारक परिवर्तनशील एनसीएफ के पक्ष में नहीं हैं और उन्होंने अपने दृष्टिकोण के समर्थन में निम्नलिखित औचित्य प्रदान किए हैं:
    - एनसीएफ की लागत किसी राज्य/शहर/कस्बे/गांव से संबंधित बुके /योजनाओं पर बहुत अधिक निर्भर नहीं है।
    - एनसीएफ सभी परिचालन व्यय का एक परिणाम है, जो सभी एमएसओ के लिए उनकी क्षमता और बुनियादी ढांचे के आधार पर मुख्य रूप से मानकीकृत है।
    - परिवर्तनशील एनसीएफ ग्राहकों के एक ही समूह के भीतर भेदभाव पैदा करेगा, जिससे ग्राहकों द्वारा डीपीओ के साथ आगे मुकदमेबाजी की संभावना बढ़ जाएगी।
    - परिवर्तनशील एनसीएफ का उद्योग के एक समूह द्वारा दूसरों के खिलाफ दुरुपयोग किया जा सकता है, क्योंकि उनके पास बहुत अधिक पैसा है और वे अधिक खर्च करने में सक्षम हैं।
    - इससे जमीन पर कानून और व्यवस्था की स्थिति भी पैदा हो सकती है, जिससे पायरेसी के साथ-साथ प्रसारकों और डीपीओ के बीच विवाद भी हो सकता है।
    - इससे ऑडिटर्स के लिए ऑडिट के दौरान स्थान के विवरण को सत्यापित करने में भी कठिनाई हो सकती है।
    - परिवर्तनशील एनसीएफ मूल्य निर्धारण संरचना को और अधिक जटिल बना सकता है, जिससे उपभोक्ताओं और सभी हितधारकों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। यह जटिलता मूल्य निर्धारण की पारदर्शिता को कमज़ोर कर सकती है और उपभोक्ताओं के लिए अपनी चुनी गई योजनाओं की वास्तविक लागत को समझना कठिन बना सकती है।
    - चूंकि पूरे देश में चैनल मूल्य की एमआरपी तय की गई है, इसलिए पैकेजिंग को सरल बनाए रखने के लिए एनसीएफ भी पूरे देश में एक जैसा होना चाहिए।
    - आबादी के घनत्व और अपार्टमेंट जैसे आवासों की बढ़ती ऊर्ध्वाधर वृद्धि के साथ, डीपीओ की स्थापना और रखरखाव की लागत कम है।
    - इस तरह के परिवर्तनशील मूल्य निर्धारण का प्रभाव कई कारकों पर पड़ता है, जैसे कि सीएएस और एसएमएस में अलग-अलग उत्पाद बनाना, कॉल सेंटर, कॉल हैंडलिंग, जो एक ग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर भ्रम की स्थिति पैदा करता है। ग्राहक की अपनी भाषाई प्राथमिकताएँ हो सकती हैं और यह उसके एनसीएफ बंडल को प्रभावित कर सकता है।

40. कुछ हितधारक, खास तौर पर एलसीओ और कुछ प्रसारक अलग-अलग राज्य/शहर/कस्बों के लिए परिवर्तनशील एनसीएफ का समर्थन करते हुए सब्सक्राइब की गई योजना/बुके के आधार पर किसी भी परिवर्तनशीलता के खिलाफ हैं। उन्होंने सुझाव दिया है कि मेट्रो शहरों, शहरी शहरों, कस्बों और गांवों या ग्रामीण क्षेत्रों जैसे स्थानों के विभिन्न वर्गीकरण के लिए अलग-अलग, लेकिन मानक एनसीएफ दरों का एक सेट निर्धारित किया जाना चाहिए। एक हितधारक ने सुझाव दिया है कि डीपीओ को ऐसे संशोधन करने से कम से कम 30 दिन पहले प्राधिकरण के पास ऐसे परिवर्तनशील एनसीएफ दाखिल करने चाहिए।

विश्लेषण:

41. एनसीएफ की अधिकतम सीमा में कमी का सुझाव देने वाले कुछ हितधारकों की टिप्पणियों के संबंध में, प्राधिकरण का मानना है कि इसकी आवश्यकता नहीं है। प्राधिकरण का मानना है कि 130 रुपये अधिकतम सीमा है और डीपीओ इस राशि से कम एनसीएफ तय करने के लिए स्वतंत्र हैं। बाजार के आंकड़ों की व्यापक समीक्षा से पता चला है कि कई डीपीओ वर्तमान में 130 रुपये की निर्धारित अधिकतम सीमा से कम एनसीएफ दरें वसूल रहे हैं। यह अवलोकन सेवा प्रदाताओं के बीच पर्याप्त प्रतिस्पर्धा के अस्तित्व को रेखांकित करता है, जिसके परिणामस्वरूप बाजार संचालित मूल्य निर्धारण रणनीतियाँ बनती हैं जो अंततः उपभोक्ताओं को लाभान्वित करती हैं।

42. प्राधिकरण ने हितधारकों की टिप्पणियों और ओपन हाउस चर्चा के दौरान हुई चर्चाओं का विश्लेषण किया और कई प्रसारकों, डीपीओ (एमएसओ/डीटीएच/एचआईटीएस/आईपीटीवी) और एलसीओ की मौजूदगी के कारण बाजार में प्रतिस्पर्धा के स्तर को नोट किया। तदनुसार, प्राधिकरण का मानना है कि सेवा प्रदाताओं को गतिशील बाजार स्थितियों को अपनाने में सक्षम बनाने के लिए लचीलापन प्रदान करने की आवश्यकता है, साथ ही पारदर्शिता, जवाबदेही और समानता के माध्यम से उपभोक्ताओं और छोटे खिलाड़ियों के हितों की रक्षा करना भी आवश्यक है। हितधारकों की टिप्पणियों के विश्लेषण और प्रचलित एनसीएफ दरों के बारे में वर्तमान बाजार डेटा की गहन जांच के बाद, प्राधिकरण का मानना है कि एनसीएफ को रियायत के तहत लाना सबसे विवेकपूर्ण कार्रवाई है।

43. प्राधिकरण का यह सुविचारित मत है कि सहनशीलता के ढांचे के भीतर, डीपीओ को अपने व्यक्तिगत व्यवसाय मॉडल और परिचालन लागतों के अनुसार एनसीएफ तय करने की स्वतंत्रता होगी। कोई यह तर्क दे सकता है कि सहनशीलता दिए जाने की स्थिति में, डीपीओ एनसीएफ बढ़ा सकते हैं। हालांकि, एनसीएफ में वृद्धि पर विचार करने वाले डीपीओ को प्रतिस्पर्धी बाजार में ग्राहक के छिटकने के संभावित जोखिम का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना होगा। इसलिए, सहनशीलता के तहत एनसीएफ को बनाए रखने का निर्णय डीपीओ और उपभोक्ताओं दोनों के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी माना जाता है। यह दृष्टिकोण एनसीएफ दरों को बाजार की शक्तियों द्वारा निर्धारित करने की अनुमति देता है, जिससे प्रतिस्पर्धी दबावों और उपभोक्ता मांग के साथ प्रभावी ढंग से संरेखित करने के लिए मूल्य निर्धारण रणनीतियों में लचीलापन आता है।

44. किसी निश्चित अंतराल पर एनसीएफ को बदलने के लिए मुद्रास्फीति सूचकांक चुनने के संबंध में, प्राधिकरण का यह मत है कि सूचकांक तय करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एनसीएफ को सहनशीलता के तहत लाया गया है, जिससे डीपीओ को अपनी परिचालन आवश्यकताओं के आधार पर एनसीएफ तय करने की लचीलापन मिलती है।

45. संशोधित टैरिफ आदेश 2020 में, प्राधिकरण ने भौगोलिक स्थिति के आधार पर एनसीएफ की पेशकश करने में डीपीओ को लचीलापन दिया और अपने निर्णय के समर्थन में निम्नलिखित औचित्य प्रदान किए:

"123. प्राधिकरण ने हितधारकों की टिप्पणियों का विश्लेषण किया और उसका मानना है कि डीपीओ को विभिन्न क्षेत्रों/क्षेत्रों के लिए अलग-अलग एनसीएफ घोषित करने की छूट दी जानी चाहिए। प्राधिकरण ने यह भी कहा कि अलग-अलग बाजारों के लिए अलग-अलग एनसीएफ की पेशकश पूरी योजना को विकृत नहीं करेगी, अगर इसे सभी ग्राहकों के लिए गैर-भेदभावपूर्ण तरीके से पेश किया जाए। तदनुसार, प्राधिकरण ने फैसला किया है कि डीपीओ को अपने सेवा क्षेत्र के भीतर राज्य, जिला, शहर जैसे विभिन्न क्षेत्रों/क्षेत्रों के लिए अलग-अलग एनसीएफ घोषित करने की अनुमति दी जानी चाहिए। हालांकि, प्रत्येक क्षेत्र/क्षेत्रों के लिए एनसीएफ की रिपोर्ट समय-समय पर प्राधिकरण को दी जाएगी।"

46. प्राधिकरण ने हितधारकों की टिप्पणियों का विश्लेषण किया और उसका मानना है कि डीपीओ को चैनलों की संख्या, क्षेत्रों/क्षेत्रों और ग्राहकों की श्रेणी के आधार पर अलग-अलग एनसीएफ घोषित करने की पूरी छूट दी जानी चाहिए। प्राधिकरण ने यह भी कहा कि यदि किसी विशेष एनसीएफ को सभी ग्राहकों को गैर-भेदभावपूर्ण तरीके से पेश किया जाता है, जो उस एनसीएफ के लिए डीपीओ द्वारा घोषित समान चैनलों की संख्या, क्षेत्र/क्षेत्र, ग्राहक की श्रेणी आदि के मानदंडों को पूरा करते हैं, तो अलग-अलग एनसीएफ की पेशकश पूरी योजना को विकृत नहीं करेगी। तदनुसार, प्राधिकरण ने निर्णय लिया है कि डीपीओ को अपने सेवा क्षेत्र के भीतर विभिन्न चैनलों, विभिन्न क्षेत्रों/क्षेत्रों और विभिन्न उपभोक्ता वर्ग या उनके संयोजन के लिए अलग-अलग एनसीएफ घोषित करने की पूरी छूट दी जानी चाहिए।

47. पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, सभी एनसीएफ पेशकशों को उनके संबंधित मानदंडों के साथ अनिवार्य रूप से सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रकाशित किया जाना चाहिए और भादूविप्रा को रिपोर्ट करने के अलावा उपभोक्ताओं को सूचित किया जाना चाहिए।
48. यह उम्मीद की जाती है कि डीपीओ अपने ग्राहकों को अभिनव पेशकशों के माध्यम से रियायत का लाभ प्रदान करेंगे। प्राधिकरण डीपीओ द्वारा एनसीएफ पेशकश, बाजार पर इसके प्रभाव पर कड़ी नजर रखना जारी रखेगा और यदि स्थिति की आवश्यकता होगी तो आगे भी उपयुक्त उपाय करेगा।

<u>ख. मल्टी-टीवी घरों के लिए नेटवर्क क्षमता शुल्क:</u>

49. टैरिफ संशोधन आदेश 2020 में, मल्टी टीवी वाले घर में पहले टीवी कनेक्शन के बाद प्रत्येक अतिरिक्त टीवी कनेक्शन के लिए एनसीएफ पर 40% की सीमा निर्धारित की गई है। परामर्श पत्र में, हितधारकों से पूछा गया कि क्या भादूविप्रा

को वर्तमान प्रावधान को संशोधित करना चाहिए कि मल्टी-टीवी वाले घरों में दूसरे टीवी कनेक्शन और उसके बाद के लिए एनसीएफ प्रति अतिरिक्त टीवी घोषित एनसीएफ के 40% से अधिक नहीं होना चाहिए। एनसीएफ में संशोधन होने की स्थिति में, इष्टतम छूट दर पर पहुंचने के लिए मात्रात्मक औचित्य के बारे में भी सुझाव मांगे गए थे। यह भी पूछा गया कि क्या भादूविप्रा को मल्टी-टीवी वाले घरों के लिए एनसीएफ सीमा को पूरी तरह से हटाने पर विचार करना चाहिए।

50. इसके जवाब में, कुछ हितधारकों, जिनमें मुख्य रूप से एमएसओ, डीटीएच ऑपरेटर, एलसीओ और उपभोक्ता वकालत समूह शामिल हैं, ने छूट संरचना को संशोधित करने और मल्टी-टीवी घरों में बाद के टीवी के लिए एनसीएफ पर सीमा को खत्म करने का सुझाव दिया है। उन्होंने निम्नलिखित तर्कों के साथ अपने रुख को उचित ठहराया:
    - मल्टी टीवी के लिए एनसीएफ सीमा उचित नहीं है क्योंकि मल्टी-टीवी वाले ग्राहक संपन्न ग्राहक हैं और डीपीओ की कीमत पर एनसीएफ में सब्सिडी देना ऐसे ग्राहकों को अनुचित रूप से समृद्ध करना है।
    - एनसीएफ पर छूट देना संभव नहीं हो सकता है क्योंकि प्रत्येक घर में दूसरा टीवी कनेक्शन प्रदान करने की वृद्धिशील लागत पहले टीवी कनेक्शन प्रदान करने की लागत के समान ही है।
    - ऐसे ही उत्पाद के उदाहरण जो आवश्यक हैं, लेकिन फिर भी दूसरे कनेक्शन पर कोई छूट नहीं दी जा रही है, वे हैं बिजली कनेक्शन, गैस पाइपलाइन, आदि।
    - मल्टी-टीवी घर में दूसरे टीवी कनेक्शन के लिए दी जाने वाली कोई भी छूट डीपीओ का विशेषाधिकार होना चाहिए जो उनकी व्यावसायिक आवश्यकताओं और जमीनी हकीकत पर आधारित हो।
    - कम विनियमित बाजार और नीति के रूप में हल्के स्पर्श विनियमन की ओर बढ़ने के लिए, मल्टी-टीवी घरों के लिए एनसीएफ सीमा को हटाया जा सकता है।
    - पहले अतिरिक्त कनेक्शन (इसमें से 20% एमएसओ के लिए और 40% एलसीओ/एलएमओ के लिए आवंटित किया जाना चाहिए) के लिए घोषित एनसीएफ की सीमा को संशोधित कर 60% किया जाना चाहिए)।

51. कुछ हितधारक मल्टी-टीवी घरों पर एनसीएफ कैपिंग को हटाने के विचार के खिलाफ थे। एक प्रसारक ने कहा कि मल्टी-टीवी घरों में, डीपीओ द्वारा प्रदान किया जाने वाला बुनियादी ढांचा सामान्य है और अतिरिक्त कनेक्शन के लिए केवल एसटीबी और अतिरिक्त वायरिंग की आवश्यकता होती है जो एक बार की लागत है। इसलिए, एनसीएफ पर किसी भी छूट को उचित ठहराया जाना चाहिए और घोषित एनसीएफ के 40% से अधिक की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। एक अन्य प्रसारक ने कहा कि दूसरे टीवी पर कोई भी एनसीएफ मल्टी-चैनलों की सब्सक्रिप्शन रद्द करने के मामले में कॉर्ड कटिंग को और बढ़ाएगा।

52. कुछ एलसीओ की राय थी कि एक घर में दूसरे और अधिक टीवी सेट के लिए घोषित एनसीएफ पर 40% की छूट स्वीकार्य है।

53. इसके अतिरिक्त, हितधारकों से यह भी पूछा गया कि क्या प्रत्येक अतिरिक्त टीवी कनेक्शन के लिए पे टेलीविजन चैनल भी रियायती मूल्य पर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। मल्टी-टीवी होम में दूसरे और उसके बाद के टेलीविजन कनेक्शन के लिए टेलीविजन चैनल/बुके के एमआरपी पर छूट की मात्रा के बारे में भी सुझाव मांगे गए, यदि रियायती मूल्य उपलब्ध हो जाता है।

54. अधिकांश हितधारकों ने तर्क दिया कि यदि एनसीएफ छूट जारी रहती है, तो ब्रॉडकास्टरों को भी मल्टी-टीवी कनेक्शन के लिए इसी तरह सामग्री पर छूट देनी चाहिए। उन्होंने अपने रुख के पक्ष में निम्नलिखित औचित्य और टिप्पणियाँ दीं:

- कुछ एलसीओ ने मानना था कि यदि मल्टी-टीवी होम्स के लिए पे टीवी चैनलों पर छूट शुरू की जाती है, तो एमआरपी भी कम होनी चाहिए, जिससे ग्राहकों को तुलनात्मक रूप से अधिक केबल बिल से राहत मिलेगी।
- दूसरे टीवी पर प्रसारणकर्ता से छूट प्राप्त किए बिना, एमएसओ अपनी जेब से पेशकश नहीं कर सकता, क्योंकि उसे घाटा हो रहा है और आगे और घाटे में जाने की क्षमता नहीं रखता है।
- प्रसारकों को अपने थोक मूल्य को इस तरह से संरेखित करने की आवश्यकता है कि पहले टीवी के लिए एक मूल्य हो और अतिरिक्त टीवी सेट के लिए कम मूल्य हो, ताकि उपभोक्ता को कई टीवी सेट पर अपने सब्सक्रिप्शन का उपयोग करने में सुविधा हो।
- इसकी तुलना नॉन-लीनियर मोड (ओटीटी) पर कंटेन्ट की डिलीवरी से की जानी चाहिए, जिसमें वे उपभोक्ताओं को एक ही सब्सक्रिप्शन के भीतर विभिन्न स्थानों पर (चाहे वह उपभोक्ता का घर हो, कार्यालय हो या यहां तक कि किसी तीसरे पक्ष के स्थान पर भी) कई उपकरणों पर कंटेन्ट देखने की अनुमति देते हैं।
- यदि एनसीएफ पर छूट जारी रहती है, तो प्रसारकों को मल्टी-टीवी द्वितीयक कनेक्शन के लिए भी इसी तरह की छूट देनी चाहिए।

55. कुछ डीटीएच प्रदाताओं और एक व्यक्ति का मानना था कि छूट का विचार प्रसारकों पर छोड़ देना चाहिए। उन्होंने अपनी राय के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए:
    - प्रसारकों को 15% छूट के अतिरिक्त मल्टी-टीवी होम्स के लिए अलग-अलग एमआरपी की पेशकश करने की अनुमति देने का प्रश्न, उद्योग अभ्यास और ऐसी छूटों को संचालित करने की तकनीकी व्यवहार्यता के आधार पर, प्रसारकों और डीपीओ के बीच आपसी बातचीत पर छोड़ दिया जाना चाहिए।
    - केवल प्रसारकों को एमआरपी तय करने और प्रकाशित करने का अधिकार है, जबकि डीपीओ की भूमिका केवल पाइप/नेटवर्क की सीमा तक सीमित है जिसके माध्यम से उपभोक्ताओं को चैनल/बुके की पेशकश की जाती है।

56. हितधारकों से मल्टी-टीवी होम्स के लिए सूचित ग्राहकों की संख्या को सत्यापित करने के लिए तंत्र प्रदान करने को कहा गया। जवाब में उन्होंने निम्नलिखित उपाय सुझाए:

- एक डीटीएच प्रदाता ने कहा कि चूंकि डीपीओ मल्टी-टीवी पर छूट प्रदान करते हैं, इसलिए मल्टी-टीवी घरों को सत्यापित करने के लिए प्रसारकों द्वारा उसी तंत्र पर भरोसा किया जा सकता है। एक अन्य डीटीएच प्रदाता ने आगे कहा कि अंतः संयोजन विनियमन में प्रावधान वार्षिक ऑडिट इस पहलू को पर्याप्त रूप से पूरा करता है, और इसके संबंध में किसी और विनियमन/तंत्र की आवश्यकता नहीं है।
- हितधारकों में से एक ने कहा कि डीपीओ द्वारा तैनात प्रत्येक डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम मौजूदा विनियमों के तहत निर्धारित विनिर्देशों के अनुरूप है और ऐसे सिस्टम का नियमित ऑडिट किया जा रहा है ताकि सिस्टम के अनुपालन को सत्यापित किया जा सके। और मल्टी-टीवी घरों की पहचान करने के लिए एसएमएस में प्रत्येक एसटीबी के इंस्टॉलेशन पते के साथ क्षेत्र/इलाके के अनुसार रिपोर्ट तैयार करने की क्षमता होनी चाहिए, जिसमें मल्टी-टीवी होम्स की पहचान करने के लिए अद्वितीय उपभोक्ता आईडी प्रदान की गई हो। प्रौद्योगिकी में वर्तमान उन्नति के साथ, प्रत्येक सेट टॉप बॉक्स को लोकेशन ट्रेसिंग तंत्र से लैस किया जा सकता है ताकि मल्टी-टीवी होम कनेक्शन का पता लगाया जा सके।

57. कई प्रसारकों ने रियायती कीमत के विचार का पूरी तरह से विरोध किया। उन्होंने अपने रुख के लिए निम्नलिखित तर्क दिए:
    - प्रसारक समझौते की शर्तों के अनुसार, प्रत्येक टीवी/एसटीबी को अलग-अलग सब्सक्राइबर माना जाता है और उसी के अनुसार बिल भेजा जाता है।
    - मल्टी-टीवी होम में, प्रत्येक टीवी सेट के दर्शकों के पास चैनलों के अलग-अलग विकल्प होते हैं और इसलिए, प्रत्येक मल्टी-टीवी कनेक्शन को डीपीओ द्वारा एमएसआर में रिपोर्टिंग के लिए एक अलग और विशिष्ट अतिरिक्त सब्सक्राइबर के रूप में माना जाना चाहिए।
    - ऑडिट के माध्यम से भी मल्टी-टीवी कनेक्शन वाले घर के लिए सही सब्सक्राइबर संख्या की पहचान करना प्रसारकों के लिए तकनीकी रूप से संभव नहीं है।
    - वितरक ग्राहकों का विवरण प्रसारकों के साथ साझा नहीं करता है। प्रसारक के लिए मल्टी-टीवी कनेक्शन को सत्यापित करना बहुत मुश्किल है क्योंकि एसएमएस-सीएएस सिस्टम वितरक स्तर पर हैं।
    - अस्पतालों/होटलों आदि को छूट दी जा सकती है और बेईमान डीपीओ द्वारा इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। इससे प्रसारकों और डीपीओ के बीच विवाद पैदा हो सकता है ।
    - दूसरा टीवी कनेक्शन केवल किफायती परिवारों द्वारा खरीदा जाता है जो सब्सक्रिप्शन शुल्क का भुगतान करने में सक्षम होते हैं।

विश्लेषण:

58. हितधारकों की टिप्पणियों और सुझावों की समीक्षा करने तथा बाजार के आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद प्राधिकरण ने पाया कि देश में कुल टीवी उपयोगकर्ताओं में मल्टी-टीवी होम्स की हिस्सेदारी केवल 2-3% है। डीपीओ को एनसीएफ घोषित करने के लिए दी गई छूट के अनुरूप प्राधिकरण का विचार है कि मल्टी-टीवी होम्स में दूसरे टीवी के लिए डीपीओ द्वारा घोषित एनसीएफ के लिए भी छूट दी जानी चाहिए। इसलिए, मल्टी-टीवी होम्स में दूसरे टीवी के लिए

एनसीएफ के मामले में, पहले टीवी के लिए घोषित एनसीएफ की 40% की अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है। हालांकि, डीपीओ के पास अपने व्यवसाय मॉडल के आधार पर अतिरिक्त टीवी के लिए प्रचार या छूट के माध्यम से अलग-अलग एनसीएफ दरें देने का विकल्प है। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना और ग्राहकों को कई विकल्प प्रदान करना है।

59. प्राधिकरण ने पाया कि मल्टी-टीवी होम्स में, पहले/प्राथमिक टीवी कनेक्शन के विस्तार के रूप में होम के विभिन्न कमरों/स्थानों में टीवी कनेक्शन प्रदान किए जाते हैं और इसलिए उसका विचार है कि मल्टी-टीवी वाले होम्स में दूसरे टीवी के लिए एनसीएफ उसी होम में पहले टीवी के लिए घोषित एनसीएफ से अधिक नहीं होना चाहिए।

60. प्राधिकरण ने हितधारकों की टिप्पणियों पर विचार किया कि प्रसारकों को मल्टी-टीवी होम्स में प्रत्येक अतिरिक्त टीवी के लिए अपने चैनल कम दर पर भी पेश करने चाहिए। मल्टी टीवी होम्स का सही तरीके से सत्यापन करने में प्रसारकों के सामने आने वाली चुनौतियों को देखते हुए, प्राधिकरण का इरादा प्रसारकों को मल्टी-टीवी होम्स में प्रत्येक अतिरिक्त टीवी कनेक्शन के लिए अपने चैनल कम दर पर पेश करने के लिए बाध्य करने का नहीं है।

<u>ग. डीपीओ द्वारा बुके की डीआरपी तय करने के लिए ए-ला-कार्टे चैनलों की डीआरपी की राशि पर छूट की 15% की अधिकतम सीमा:</u>

61. परामर्श पत्र में हितधारकों से टिप्पणियां मांगी गई थीं कि क्या डीपीओ द्वारा बुके का डीआरपी तय करते समय बुके (जैसा कि टैरिफ आदेश 2017 के खंड 4(4) के दूसरे प्रावधान के माध्यम से निर्धारित किया गया है) में ए-ला-कार्टे चैनलों के डीआरपी के योग पर छूट की अधिकतम सीमा की समीक्षा करने की आवश्यकता है।

62. इसके जवाब में, डीपीओ, उपभोक्ता वकालत समूहों और कुछ समाचार प्रसारकों सहित कुछ हितधारकों का मानना था कि प्रावधान को संशोधित करने की आवश्यकता है और डीपीओ द्वारा उस बुके की एमआरपी तय करते समय बुके में ए-ला-कार्टे चैनलों की एमआरपी की राशि पर छूट की सीमा को बढ़ाकर 45% किया जाना चाहिए। उन्होंने अपने विचारों के समर्थन में निम्नलिखित तर्क दिए:
    - डीपीओ के लिए छूट की अधिकतम सीमा (डीपीओ बुके में ए-ला-कार्टे चैनलों की कुल संख्या पर 45% छूट) प्रसारकों को दी जाने वाली छूट की अधिकतम सीमा के समान होनी चाहिए।
    - डीपीओ के बुके पर छूट देने के मामले में लचीलापन आवश्यक है, ताकि ग्राहकों की पसंद को पूरा किया जा सके और उन्हें बेहतर योजनाएं और पेशकश दी जा सकें। पूरी तरह से छूट देने से सभी हितधारकों अर्थात ग्राहकों, डीपीओ और प्रसारकों को लाभ होगा।
    - डीपीओ के बुके की ग्राहकों द्वारा की गई खरीद (डीपीओ पर ग्राहकों की संख्या 70% है, जबकि प्रसारकों के बुके पर केवल 10% ग्राहक हैं) प्रसारकों द्वारा उपलब्ध कराए गए बुके की तुलना में कहीं अधिक है

- अधिकतम सीमा को हटाने से डीपीओ के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, जिससे बेहतर और अधिक कुशल व्यावसायिक व्यवहारों को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही यह सुनिश्चित होगा कि ग्राहकों को पेश किए जा रहे बुके के लिए बेहतर दरें प्राप्त हों।
- डीपीओ द्वारा बनाए और पेश किए गए बुके के लिए डीपीओ द्वारा दी जाने वाली छूट को सीमित करने से उपभोक्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है क्योंकि कीमत बाज़ार द्वारा निर्धारित की गई कीमत से अधिक होती है।
- डीपीओ व्यवसाय अपनी सेवाओं की कीमत तय करने में स्वतंत्रता की कमी से बाधित है। इससे डीपीओ के व्यवसाय बंद हो सकते हैं, क्योंकि उपभोक्ता पहले से ही स्ट्रीमिंग सेवाओं जैसे अन्य विकल्पों की ओर बढ़ रहे हैं।
- ओटीटी और अन्य ऊर्ध्वाधर एकीकृत प्रसारणकर्ता के साथ प्रभावी रूप से प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रसारकों और डीपीओ द्वारा चैनल के मूल्य निर्धारण में बिना किसी सीमा के पूर्ण रियायत की अनुमति दी जानी चाहिए।
- अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाजार में, कोई भी डीपीओ ए-ला-कार्टे आधार पर चैनलों की खरीद नहीं कर सकता है और इसे ए-ला-कार्टे मूल्य पर उपभोक्ता की सब्स्क्रिप्शन का हिस्सा नहीं बना सकता है, जब वही चैनल ए-ला-कार्टे मूल्य के 45% पर बुके में उपलब्ध हैं।
- छूट में विसंगति ने डीपीओ और प्रसारकों के बीच असंतुलन पैदा कर दिया है और डीपीओ को बाजार में प्रभावी रूप से प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति नहीं दी है।
- एमआईबी द्वारा टीवी चैनल प्रसारक को दिया गया लाइसेंस न तो उन्हें सीधे उपभोक्ताओं को अपने चैनल बेचने की अनुमति देता है और न ही बुके बनाने की अनुमति देता है।
- प्रसारणकर्ता एफटीए (उन्हें पे चैनलों में परिवर्तित करके) और/या डीपीओ के नेटवर्क में कम लोकप्रिय पे चैनल को आगे बढ़ाते हैं और विज्ञापन राजस्व अर्जित करने के लिए उन्हें बिना किसी कैरिज शुल्क का भुगतान किए ऐसे चैनलों को प्रसारित करने के लिए मजबूर करते हैं।

63. कुछ एमएसओ और एक एसोसिएशन ने कहा कि 45% की छूट को शून्य कर दिया जाना चाहिए क्योंकि इससे प्रसारक को ए-ला-कार्टे की कीमत 45% तक कम करने में मदद मिलेगी और साथ ही यह डीपीओ और उपभोक्ताओं को ए-ला-कार्टे या बुके में से किसी एक को चुनने की सुविधा प्रदान करेगा, बिना दोनों के बीच भारी मूल्य अंतर के बारे में चिंता किए।

64. कुछ प्रसारकों, कुछ व्यक्तियों और एक एलसीओ एसोसिएशन जैसे कुछ हितधारकों ने तर्क दिया कि मौजूदा प्रावधानों में कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपने विचारों के लिए निम्नलिखित औचित्य प्रदान किए:
    - वितरकों द्वारा छूट में कोई भी वृद्धि तर्कसंगत नहीं है क्योंकि वितरक पुनर्विक्रेताओं के रूप में कार्य करते हैं और उनसे लागत से कम कीमत पर सेवाएँ बेचने की अपेक्षा नहीं की जाती है।
    - यदि कोई वितरक वास्तव में उपभोक्ता को अधिक छूट देने में रुचि रखता है, तो वह डीआरपी पर पहले स्तर की छूट दे सकता है, उसके बाद बुके पर 15% तक की छूट देने के मामले में दूसरे स्तर की छूट दे सकता है।

- अधिकांश डीपीओ अपनी वेबसाइट पर अपने पैक का उल्लेख नहीं करते हैं, जिसमें कंटेन्ट की लागत, एनसीएफ और प्रसारक के चैनलों/बुके के एमआरपी पर छूट का विवरण दिया जाता है। इसलिए, यह पता लगाना संभव नहीं है कि डीपीओ प्रसारक के चैनलों/बुके के एमआरपी पर कोई छूट दे रहे हैं या नहीं।
- कुछ विदेशी संस्थाएँ भी इस क्षेत्र में प्रवेश कर सकती हैं और शुरू में भारी छूट देकर और नकदी जलाकर बाजार पर कब्जा करके स्थानीय खिलाड़ियों को उखाड़ फेंक सकती हैं।

विश्लेषण:

65. टैरिफ आदेश 2017 में प्राधिकरण ने निर्धारित किया था कि पे चैनलों का बुके बनाते समय, कोई प्रसारक या डीपीओ उस बुके में सभी पे चैनलों के एमआरपी/डीआरपी के योग पर अधिकतम 15% की छूट दे सकता है। किसी बुके के एमआरपी/डीआरपी पर अधिकतम स्वीकार्य छूट निर्धारित करने का मुख्य कारण ए-ला-कार्टे पेशकश के माध्यम से उपभोक्ता की पसंद को सक्षम करना और ए-ला-कार्टे और बुके की कीमतों में असमानता को रोकना था।
66. प्रसारकों द्वारा दायर एक मामले में, माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने घोषित किया कि प्रसारकों द्वारा बुके की कीमत को बुके में पे चैनलों के ए-ला-कार्टे मूल्यों के योग के 85% पर सीमित करना, जैसा कि टैरिफ ऑर्डर 2017 के खंड 3(3) के तीसरे प्रावधान में प्रावधान किया गया है, 'मनमाना और लागू न करने योग्य' है। हालांकि, बुके बनाते समय डीपीओ को दी जाने वाली 15% की छूट को कोई चुनौती नहीं दी गई।

67. टैरिफ संशोधन आदेश 2020 में, प्राधिकरण ने प्रसारकों द्वारा पेश किए जाने वाले ए-ला-कार्टे चैनलों और बुके के मूल्य निर्धारण के बीच संबंध के रूप में दोहरी शर्तें निर्धारित कीं। पहली शर्त में 33% की छूट प्रदान की गई थी जिसे कोई प्रसारक अपने बुके में सभी पे चैनलों के एमआरपी के योग पर पे चैनलों का बुके बनाते समय दे सकता था। दूसरी शर्त में यह प्रावधान था कि बुके में किसी चैनल की एमआरपी उस बुके में किसी चैनल की औसत कीमत से तीन गुना से अधिक नहीं हो सकती। प्रसारकों द्वारा दायर एक मामले में, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दूसरी दोहरी शर्त को खारिज कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप पहली शर्त लागू नहीं हो सकी। हालाँकि, बुके बनाते समय डीपीओ को दी जाने वाली 15% की छूट में कोई बदलाव नहीं किया गया।

68. टैरिफ संशोधन आदेश 2022 में, बुके बनाते समय प्रसारकों को बुके में ए-ला-कार्टे चैनलों की कीमत के योग पर अधिकतम 45% की छूट की अनुमति दी गई है। हालाँकि, बुके बनाते समय डीपीओ को दी जाने वाली 15% की छूट में कोई बदलाव नहीं किया गया। अब डीपीओ ने मांग की है कि प्रसारकों के साथ समानता बनाए रखने के लिए उन्हें भी बुके बनाते समय अधिकतम 45% की छूट दी जानी चाहिए।

69. टैरिफ संशोधन आदेश 2022 में, 45% की छूट निर्धारित करते समय प्राधिकरण ने श्री पाउलो मार्टिस और अन्य द्वारा लिखे गए अनुच्छेद 4, 'व्यक्तिगत उत्पादों और बंडलों के बीच वरीयता: पुर्तगाल में पूरक, मूल्य और छूट स्तर के प्रभाव' का संदर्भ दिया जो काफी प्रासंगिक लगता है। अनुच्छेद[3] के अनुसार, बंडलिंग पर 20% तक की छूट के मामले में, व्यक्तिगत उत्पादों को प्राथमिकता दी जाती है। हालाँकि, 45% की छूट के स्तर पर, बंडलों को व्यक्तिगत उत्पादों पर प्राथमिकता दी जाती है।

70. विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए, प्राधिकरण ने इस प्रावधान को डीपीओ तक भी विस्तारित करने का निर्णय लिया है। परिणामस्वरूप, डीपीओ को अब अपने स्वयं के बुके बनाते समय ए-ला-कार्टे चैनलों की कुल कीमतों पर अधिकतम 45% छूट देने की अनुमति है। इससे उन्हें बुके बनाने और उपभोक्ताओं को आकर्षक सौदे देने में लचीलापन मिलेगा।

71. इस तरह की छूट की व्यवहार्यता के बारे में चिंताएँ हो सकती हैं, क्योंकि डीपीओ को वर्तमान में प्रसारकों से चैनल की कीमतों पर अधिकतम 35% छूट (20% निश्चित + 15% परिवर्तनीय) मिलती है। हालाँकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि डीपीओ अन्य स्रोतों जैसे कैरिज फीस, प्लेसमेंट फीस और मार्केटिंग फीस से भी राजस्व उत्पन्न करते हैं। इसलिए, यदि कोई डीपीओ अपनी व्यावसायिक रणनीतियों और लाभ मार्जिन के आधार पर इसे बनाए रख सकता है, तो वे अधिकतम 45% छूट दे सकते हैं।

72. प्राधिकरण डीपीओ द्वारा पेश किए जाने वाले बुके, बाजार पर इसके प्रभाव पर कड़ी नज़र रखना जारी रखेगा और स्थिति के अनुसार आगे भी उपयुक्त उपाय करेगा।

<u>घ. एक एचडी चैनल के बराबर एसडी चैनलों की संख्या:</u>

73. हितधारकों से पूछा गया कि क्या डीपीओ की कुल चैनल वहन क्षमता को विशिष्ट चैनल (चैनलों) को आवंटित बैंडविड्थ (एमबीपीएस में) के संदर्भ में परिभाषित किया जाना चाहिए और उस मामले में एसडी और एचडी चैनलों को आवंटित बैंडविड्थ की मात्रा क्या होनी चाहिए।

74. जवाब में, एमएसओ, एलसीओ, एक संगठन, कुछ डीटीएच प्रदाता, कुछ संघों सहित कई हितधारकों ने डीपीओ की कुल चैनल वहन क्षमता को बैंडविड्थ के संदर्भ में परिभाषित करने के विचार का विरोध किया। उन्होंने अपने रुख का समर्थन करने के लिए निम्नलिखित तर्क दिए:
    - टीवी चैनलों के संपीड़न और प्रसारण के लिए डीपीओ द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली प्रौद्योगिकियों के मामले में बहुत अधिक विविधता है। इस प्रकार, एमबीपीएस के संदर्भ में चैनल क्षमता को परिभाषित करने से कोई लाभ नहीं होगा।
    - भविष्य में संपीड़न प्रौद्योगिकियों में प्रगति एक ही बैंडविड्थ के भीतर और भी अधिक चैनलों की अनुमति दे सकती है।

---

[3] व्यक्तिगत उत्पादों और बंडलों के बीच वरीयता: पुर्तगाल में पूरक, मूल्य और छूट स्तर के प्रभाव https://www.mdpi.com/1911-8074/14/5/192/htm पर उपलब्ध हैं

- एन्कोडेड चैनलों के लिए बिटरेट की आवश्यकताएँ सामग्री के प्रकार के आधार पर भिन्न होती हैं; मनोरंजन चैनलों को आम तौर पर फ्रेम परिवर्तन और ऑन-स्क्रीन जानकारी की आवृत्ति के कारण खेल चैनलों की तुलना में कम बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है।
- डीपीओ को अपनी चैनल क्षमता के आधार पर चैनलों को समायोजित करने की स्वतंत्रता है और वे ऐसी क्षमता को बनाए रखने के लिए आवश्यक व्यय करते हैं। यदि चैनलों को बैंडविड्थ के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है, तो इससे कुछ चैनलों को कंटेन्ट के प्रकार और मात्रा के कारण वरीयता मिलेगी जिससे कंटेन्ट विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- डीपीओ की कुल चैनल वहन क्षमता ट्रांसपोंडर की खरीद और अंतरिक्ष विभाग द्वारा प्रदान की गई बैंडविड्थ पर आधारित है जो टीएसपी और आईएसपी की तुलना में उपग्रह आधारित है।

75. दूसरी ओर, कुछ प्रसारकों और एलसीओ ने डीपीओ की कुल चैनल वहन क्षमता को बैंडविड्थ के संदर्भ में परिभाषित करने के सुझाव का समर्थन किया और निम्नलिखित कारण और टिप्पणियां प्रदान कीं:
    - किसी चैनल की गुणवत्ता सीधे तौर पर संबंधित चैनल को आवंटित बैंडविड्थ पर निर्भर करती है, जब अन्य सभी पैरामीटर परिभाषित होते हैं, और वे स्थिर रहते हैं।
    - किसी चैनल के बैंडविड्थ आवंटन को कंटेन्ट या शैली के प्रकार के आधार पर वर्गीकृत किया जाना चाहिए।
    - किसी भी चैनल को आवंटित बैंडविड्थ की मात्रा चैनल के प्रकार पर निर्भर करती है। एसडी चैनलों के लिए आदर्श रूप से 2 से 3 एमबीपीएस बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है। एचडी चैनलों के लिए बैंडविड्थ की न्यूनतम आवश्यकता लगभग 6 से 8 एमबीपीएस है।
    - भादूविप्रा को बीईसीआईएल के परामर्श से प्रत्येक क्यूएएम (64 या 256) के लिए एक मानक एन्कोडिंग / बिट दर का प्रस्ताव करना चाहिए, जिसमें किसी विशेष शैली के चैनल वितरित किए जा रहे हैं, ताकि किसी विशेष शैली के अंतर्गत आने वाले सभी चैनलों के लिए समान गुणवत्ता पैरामीटर सुनिश्चित किए जा सकें।
    - चूंकि एचडी चैनलों को एसडी चैनलों की तुलना में अधिक बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है, इसलिए डीपीओ की वहन क्षमता, विशेष रूप से एमएसओ की, विशिष्ट चैनलों को आवंटित बैंडविड्थ के संदर्भ में परिभाषित की जानी चाहिए।

76. हितधारकों से यह भी पूछा गया कि क्या मौजूदा निर्धारित एचडी/एसडी अनुपात की भी समीक्षा की जानी चाहिए, जो एनसीएफ में चैनलों की संख्या की गणना के उद्देश्य से 1 एचडी चैनल को 2 एसडी चैनलों के बराबर मानता है।
77. इसके जवाब में, एमएसओ, डीटीएच ऑपरेटर, कुछ एसोसिएशन और कुछ प्रसारक सहित कई हितधारकों ने 1 एचडी = 2 एसडी के मौजूदा प्रावधानों को संशोधित करने के विचार का समर्थन किया। उन्होंने अपनी राय के लिए निम्नलिखित टिप्पणियाँ और औचित्य प्रदान किए:
    - एसडी और एचडी चैनलों को विभिन्न स्तरों पर संपीड़ित किया जा सकता है, जो उस तकनीक पर निर्भर करता है जिसका उपयोग डीपीओ चैनलों को पुनः प्रसारित करने के लिए करता है। इसलिए, एक एसडी चैनल उस स्थान

की मात्रा (चैनलों की संख्या के संदर्भ में) को परिभाषित करने का आधार नहीं हो सकता है जो एक एचडी चैनल एक डीपीओ के नेटवर्क पर लेगा।

- एसडी से एचडी कंटेंट का बिटरेट अनुपात परिवर्तनशील हो सकता है और यह विशिष्ट एन्कोडिंग सेटिंग, कोडेक और एन्कोड की जा रही सामग्री (चाहे वह तेज़ गति वाला चैनल हो या मनोरंजन चैनल) पर निर्भर करता है।
- इस अनुपात को परिभाषित करने का एकमात्र कारण एनसीएफ और कैरिज शुल्क निर्धारित करने में मदद करना है। सभी खुदरा संबंधित निर्णय लेने के लिए डीपीओ को सहनशीलता और सशक्त बनाना एसडी / एचडी चैनल क्षमता से संबंधित पहलुओं को सूक्ष्म रूप से विनियमित करने की आवश्यकता को समाप्त कर देगा।
- चैनलों की ऐसी श्रेणी को आवंटित बैंडविड्थ निम्नलिखित है: एचडी = 1.2 एमबीपीएस|एचडी = 4.5 एमबीपीएस|4के= 16 एमबीपीएस। एक एचडी चैनल 4 एसडी चैनलों के बराबर होना चाहिए और एक 4 के चैनल 4 एसडी चैनलों या 15 एसडी चैनलों के बराबर होना चाहिए।
- कुछ डीपीओ ने एसडी चैनलों के लिए एमपीईजी 2 और एचडी चैनलों के लिए एमपीईजी 4 को अपनाया है, ऐसे में एचडी चैनल द्वारा उपयोग की जाने वाली बैंडविड्थ एसडी चैनल के बैंडविड्थ उपयोग के 2 गुना के करीब भी नहीं है।
- यदि एचडी चैनल की कीमत अधिक है, तो वितरकों के पास अधिक मार्जिन है, इसलिए एक एचडी चैनल को 2 एसडी चैनलों के बराबर मानना दर्शकों के लिए बेहतर प्रसारण के विकास को बाधित करता है।
- प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ, एचडी और एसडी सामग्री के बीच का अंतर कम प्रासंगिक हो सकता है क्योंकि अधिक चैनल उच्च रिज़ॉल्यूशन की ओर बढ़ रहे हैं।
- प्रत्येक चैनल को उसके प्रकार के बावजूद एक चैनल के रूप में माना जाना चाहिए।

78. कुछ हितधारकों ने निम्नलिखित तर्क देते हुए मौजूदा एचडी/एसडी अनुपात में कोई भी बदलाव करने का विरोध किया:
    - एसडी और एचडी की बैंडविड्थ आवश्यकता क्रमशः 2 से 3 एमबीपीएस और 6 से 8 एमबीपीएस है, इसलिए निर्धारित एचडी/एसडी अनुपात की समीक्षा की आवश्यकता नहीं है।
    - एचडी:एसडी अनुपात को मानक परिभाषा सामग्री और उच्च परिभाषा सामग्री द्वारा बैंडविड्थ की खपत के आधार पर डिज़ाइन किया गया था। यह अनुपात अच्छी तरह से स्थापित है और इसे बदलने की आवश्यकता नहीं है।
    - उपयोगकर्ता के अंत में डीपीओ फ़ीड के स्कैन के दौरान, कोई भी डीपीओ द्वारा उपयोग की जाने वाली उनकी आवृत्तियों के साथ सभी एनकोडर की सूची प्राप्त कर सकता है। एसडी चैनलों के लिए औसत अपलिंक बिटरेट: 2.5 एमबीपीएस और एचडी चैनलों के लिए औसत अपलिंक बिटरेट: 5 एमबीपीएस है।

79. समान प्रकार के चैनलों के लिए ग्राहकों को समान रिसेप्शन गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, हितधारकों से निगरानी/जांच के लिए उपाय और पैरामीटर प्रदान करने के लिए कहा गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी टेलीविजन चैनल के साथ डीपीओ द्वारा भेदभाव न किया जाए। जवाब में हितधारकों ने निम्नलिखित उपाय प्रदान किए:

- डीपीओ को प्रसारकों के चैनलों के सिग्नलों को बिना किसी भिन्नता (यानी इनपुट गुणवत्ता = आउटपुट गुणवत्ता) के, प्रसारकों से प्राप्त गुणवत्ता में पुनः प्रसारित करने के लिए अधिदेशित किया जाना चाहिए।
- प्राथमिक वितरण ऑपरेटर के रूप में डीपीओ के पंजीकरण का मूल्यांकन चैनल वहन क्षमता में वृद्धि के आधार पर किया जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी पंजीकृत टीवी चैनल डीपीओ द्वारा अपने प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किए जा सकें।
- शैली-वार, मानकीकृत बिट-रेट आवंटन पूर्व-परिभाषित होना चाहिए (न्यूनतम-अधिकतम सीमा परिभाषित की जानी चाहिए), ताकि सभी डीपीओ निर्धारित मानकों के अनुरूप हों।
- एक दंडात्मक तंत्र होना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी डीपीओ किसी टेलीविजन चैनल के साथ अनुचित भेदभाव करता है, तो उसे अपने एमएसओ लाइसेंस को प्रभावित करने वाले परिणामों का सामना करना पड़े।
- प्राधिकरण द्वारा निर्धारित नियमित क्यूओएस ऑडिट एक प्रतिस्पर्धी एजेंसी द्वारा किए जाने चाहिए और सभी हितधारकों को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए। डीपीओ द्वारा भादूविप्रा को मापदंडों के साथ मासिक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए।
- प्रतिस्पर्धी एजेंसियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर डेसिबल, बिटरेट आदि में सिग्नल की शक्ति जैसे दिए गए मापदंडों की लगातार जाँच की जानी चाहिए और अनुपालन तय करने के लिए उसका रिकॉर्ड रखना चाहिए।
- रिपोर्ट को भादूविप्रा की वेबसाइट पर डाला जाना चाहिए, जिसे प्रसारक देख सकें। यदि प्रसारक को जमीनी स्तर पर मापदंडों की जांच के समय कोई विसंगति दिखती है, तो उन्हें भादूविप्रा को सूचित करना चाहिए और भादूविप्रा को ऐसे प्रत्येक मामले के लिए डीपीओ को दंडित करने का प्रावधान होना चाहिए।

80. दूसरी ओर, कुछ हितधारकों ने इस बात पर बहस की कि ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है जो यह सुझाव दे कि किसी डीपीओ ने किसी चैनल की रिसेप्शन गुणवत्ता को कम करने के लिए कोई काम किया है। उन्होंने तर्क दिया कि डीपीओ उद्योग के भीतर अत्यधिक प्रतिस्पर्धा को देखते हुए, कोई भी डीपीओ भेदभावपूर्ण व्यवहार करके अपने ग्राहक आधार को अलग-थलग करने का जोखिम नहीं उठाएगा।

विश्लेषण:

81. जैसा कि हितधारकों ने उल्लेख किया है, टीवी चैनल की बिट दर कंटेन्ट के प्रकार, संपीड़न तकनीक और संचारण उपकरण जैसे कारकों के कारण भिन्न होती है। प्राधिकरण का दृढ़ मत है कि डिजिटल युग में, उपभोक्ता बेहतर गुणवत्ता वाला दृश्य चाहते हैं। इसलिए, सभी एसडी, एचडी या 4के चैनलों के लिए एक समान बिट दर स्थापित करने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

82. एनसीएफ को सहनशीलता के तहत रखने के प्राधिकरण के निर्णय के साथ, एनसीएफ गणना उद्देश्यों के लिए एक एचडी चैनल दो एसडी चैनलों के बराबर होने का नियम अब अप्रासंगिक लगता है। प्रत्येक चैनल, चाहे वह एसडी, एचडी,

4के या अन्य हो, डीपीओ द्वारा चार्ज किए जाने वाले एनसीएफ का निर्धारण करते समय व्यक्तिगत रूप से विचार किया जा सकता है।

ङ. डीपीओ द्वारा गठित सभी पैक्स में अनिवार्य एफटीए चैनल:

83. परामर्श पत्र में हितधारकों से पूछा गया कि क्या डीपीओ के मंच पर उपलब्ध फ्री-टू-एयर समाचार/गैर-समाचार/नए लॉन्च किए गए चैनलों को सभी ग्राहकों को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का प्रावधान होना चाहिए।

84. जवाब में, कई प्रसारकों और एक संघ सहित विभिन्न हितधारकों ने डीपीओ के मंच पर उपलब्ध फ्री-टू-एयर समाचार/गैर-समाचार/नए लॉन्च किए गए चैनलों को सभी ग्राहकों को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के विचार से सहमति व्यक्त की। उन्होंने अपने रुख का समर्थन करने के लिए निम्नलिखित टिप्पणियाँ और औचित्य प्रदान किए:
    - समाचार और समसामयिक मामलों के चैनल समाचार और सूचना के प्रसार के लिए महत्वपूर्ण हैं। वे जनता को राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न मुद्दों पर राय बनाने में सक्षम बनाते हैं।
    - अधिकांश समाचार चैनल फ्री-टू-एयर चैनल हैं, जो केवल विज्ञापनों के माध्यम से अपना राजस्व कमाते हैं। यदि उन्हें दर्शकों के घरों तक पहुँचने का अवसर नहीं दिया जाता है, तो ऐसे चैनलों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा।
    - वितरकों के पास पहले से ही 130 रुपये के एनसीएफ के रूप में राजस्व का एक गारंटीकृत स्रोत है, जो उनके संचालन की लागत और मुनाफे के अंतर को कवर करता है। इसलिए, सभी समाचार चैनलों को ले जाने के लिए प्लेटफ़ॉर्म को अपग्रेड करना डीपीओ का कर्तव्य होना चाहिए।
    - इससे सभी संबंधित हितधारकों को लाभ होगा: डीपीओ एक ही लागत पर उपभोक्ताओं को अधिक विविधता प्रदान करने में सक्षम होंगे, उपभोक्ता विभिन्न समाचार चैनलों को देखकर विविध और बहुल दृष्टिकोण प्राप्त करने में सक्षम होंगे, और प्रसारणकर्ता अपनी पहुँच का विस्तार करने में सक्षम होंगे।
    - उपभोक्ताओं द्वारा कॉर्ड-कटिंग भी कम होगी।
    - संपीड़न प्रौद्योगिकियों के विकास के साथ जो वितरक के नेटवर्क की क्षमता को बढ़ाने में सक्षम बनाता है, वितरक प्लेटफ़ॉर्म पर सभी फ्री-टू-एयर समाचार चैनलों को अनिवार्य रूप से रखना कोई दूर का सपना नहीं होना चाहिए।
    - उपभोक्ता ने पहले ही एनसीएफ का भुगतान कर दिया है और यह सुनिश्चित करके उसे मुआवजा दिया जाना चाहिए कि सभी फ्री-टू-एयर चैनल उक्त शुल्क पर उपलब्ध हों।
    - अन्य निशुल्क चैनलों के मामले में, ग्राहक को उक्त चैनल चुनने का विकल्प दिया जाना चाहिए। इससे अनावश्यक बैंडविड्थ की खपत सीमित होगी और उपभोक्ता का देखने का अनुभव बेहतर होगा।

85. दूसरी ओर, कुछ एलसीओ और एक उपभोक्ता वकालत समूह ने एक निश्चित समय के लिए सभी पैकों में केवल नए लॉन्च किए गए चैनलों को जोड़ने का अनिवार्य रूप से समर्थन किया। वे निम्नलिखित टिप्पणियाँ लेकर आए:

- किसी भी डीपीओ प्लेटफॉर्म पर 1-2% चैनल नए लॉन्च किए गए चैनलों के लिए रखे जाने चाहिए। इस क्षमता का उपयोग किसी भी चैनल के लिए अधिकतम तीन महीने की अवधि के लिए उपभोक्ताओं के अनुभव के लिए नमूने के रूप में किया जा सकता है।
- प्रसारणकर्ता अपने आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, जहाँ उस समय अतिरिक्त क्षमता के मामले में एफआईएफओ नियम लागू होते हैं। यदि इसके लिए कोई मांग नहीं है, तो डीपीओ किसी अन्य उद्देश्य के लिए चैनल का उपयोग कर सकता है।
- यह नए कंटेंट प्रदाताओं को आगे आने के लिए प्रोत्साहित करेगा, जो कि ओटीटी के दिनों में केबल उद्योग की जरूरत है।
- यह नवाचार को प्रोत्साहित करेगा और प्रवेश की बाधा को कम करके बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा। बढ़ी हुई पसंद और कम कीमतों के कारण उपभोक्ताओं को लाभ होगा।
- चैनलों की न्यूनतम संख्या का अधिकतम 5%, यानी 10 (200 का 5%) आरक्षित किया जाना चाहिए। यह अवधि लॉन्च की तारीख से एक वर्ष तक होनी चाहिए, जिसके बाद बाजार की ताकतें खेल में होंगी।
- एमएसओ को फ्री-टू-एयर चैनलों के बुके में सभी प्रकार फ्री-टू-एयर चैनल उपलब्ध कराने चाहिए और हमेशा उन चैनलों की संख्या बनाए रखनी चाहिए जिन्हें उन्हें अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना है। लेकिन उसके बाद उन्हें सभी ग्राहकों को अतिरिक्त नए लॉन्च किए गए चैनल उपलब्ध कराने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वह समाचार हो या गैर-समाचार हो।

86. जबकि अधिकांश हितधारक, विशेष रूप से सभी डीपीओ सभी फ्री-टू-एयर चैनलों को अनिवार्य रूप से प्रदान करने की अनुमति देने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने अपने रुख को उचित ठहराने के लिए निम्नलिखित तर्क और टिप्पणियाँ प्रदान कीं:
    - प्रसारणकर्ता विज्ञापन आदि जैसे विभिन्न स्रोतों से राजस्व अर्जित करने के लिए वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए चैनल संचालित करते हैं और इसे सार्वजनिक सेवा नहीं कहा जा सकता।
    - यह प्रस्ताव उपभोक्ता की पसंद के मूल सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत है और डीपीओ पर और अधिक वित्तीय बोझ डालता है।
    - इससे नेटवर्क क्षमता अवरुद्ध हो जाएगी और दर्शकों के बीच ऐसे चैनलों की लोकप्रियता की परवाह किए बिना उन्हें जमा करने की कोशिश की जाएगी।
    - किसी भी वाणिज्यिक संगठन को बिना पर्याप्त मुआवजे के ग्राहकों को अपना उत्पाद/सेवा मुफ्त में देने के लिए नहीं कहा जा सकता। इसलिए, इस क्षेत्र के निवेशकों द्वारा इस तरह के किसी भी प्रस्ताव को नकारात्मक रूप से देखा जाएगा और यह क्षेत्र के विकास के खिलाफ होगा।
    - कोई भी चैनल जिसमें अद्वितीय और आकर्षक कंटेन्ट होगी, वह स्वतः ही लोगों का ध्यान आकर्षित करेगा और आवश्यकता पड़ने पर मांग उत्पन्न करेगा।

- बड़े प्रसारकों द्वारा अपनी पुरानी लाइब्रेरी से कंटेन्ट का उपयोग करके अचानक बहुत सारे चैनल लॉन्च किए जाएंगे क्योंकि वे स्वतः ही नेटवर्क पर चल पड़ेंगे और छोटे प्रसारकों को व्यवसाय से बाहर कर देंगे।
- डीपीओ पहले से ही केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अनिवार्य चैनलों को निःशुल्क और बिना किसी प्रोत्साहन के प्रसारित कर रहे हैं।
- यह बाजार की गतिशीलता में हस्तक्षेप करेगा और ऐसी स्थिति पैदा करेगा, जहां अन्य चैनलों की कीमत पर अलोकप्रिय चैनलों को भी जारी रखा जाएगा, जो अधिक लोकप्रिय हैं, लेकिन नेटवर्क बाधाओं और बैंडविड्थ सीमाओं के कारण डीपीओ द्वारा प्रसारित नहीं किए जा सकते हैं।
- डीपीओ को अपने तकनीकी बुनियादी ढांचे पर दबाव डालना/बढ़ाना होगा, जिससे या तो सभी उपभोक्ताओं के लिए लागत बढ़ सकती है या सभी चैनलों के लिए सेवा की गुणवत्ता में गिरावट आ सकती है।
- केबल टीवी ग्राहकों की घटती संख्या को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। अवांछित चैनलों को लागू करने से यह गिरावट और बढ़ सकती है।
- डीपीओ द्वारा प्रसारित चैनल पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रदान किए जाने पर आधारित हैं और यह कंटेन्ट की गुणवत्ता और उपभोक्ता की पसंद से काफी प्रभावित होते हैं। ऐसे परिदृश्य में किसी भी चैनल को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना, जहां डीपीओ के पास सीमित बैंडविड्थ है, उपभोक्ता की पसंद को प्रभावित करेगा।
- ऐसे चैनल हैं जो क्षेत्रीय हैं और इसके ज़रिए वे ऐसे नेटवर्क पर प्रसारित होने के लिए कह सकते हैं जहाँ उपभोक्ताओं को उनकी ज़रूरत भी नहीं है।
- डीपीओ कड़ी आर्थिक बाधाओं के भीतर काम करते हैं, बैंडविड्थ लागत, कंटेन्ट अधिग्रहण शुल्क और उपभोक्ता सदस्यता शुल्क को संतुलित करते हैं। बिना उचित मुआवज़े के उन्हें चैनल प्रसारित करने के लिए मजबूर करना उनके पहले से ही कमज़ोर वित्तीय संतुलन को और भी ज़्यादा ख़राब कर देगा।

<u>विश्लेषण</u>

87. टैरिफ ऑर्डर 2017 का खंड 7(4) सब्सक्राइबर को अपनी पसंद के चैनल चुनने का अधिकार देता है, चाहे वह ए-ला-कार्टे में हो या बुके में, जैसा कि नीचे दिया गया है:

"(7) सब्सक्राइब की गई वितरण नेटवर्क क्षमता के भीतर, सभी सब्सक्राइबरों को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराए जाने वाले केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित चैनलों के अतिरिक्त, सब्सक्राइबर प्रसारक द्वारा पेश किए जाने वाले किसी भी फ्री-टू-एयर चैनल, पे चैनल या चैनलों के बुके या टेलीविजन चैनलों के वितरकों द्वारा पेश किए जाने वाले चैनलों के बुके या इनके संयोजन को चुनने के लिए स्वतंत्र होगा:

बशर्ते कि यदि कोई सब्सक्राइबर पे चैनल या पे चैनलों के बुके का विकल्प चुनता है, तो उसे नेटवर्क क्षमता शुल्क के अतिरिक्त ऐसे चैनल और बुके के लिए वितरक खुदरा मूल्य के बराबर राशि का भुगतान करना होगा।"

88. प्राधिकरण यह मानता है कि डीपीओ के प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध प्रत्येक फ्री-टू-एयर चैनल को सभी पैक में शामिल करना अनिवार्य करना उपभोक्ता की पसंद के विरुद्ध है। इसके अलावा, प्रमुख प्रसारकों द्वारा लॉन्च किए गए फ्री-टू-एयर चैनलों की संख्या में वृद्धि का जोखिम है, जो छोटे प्रसारकों के लिए प्रवेश बाधा के रूप में कार्य कर सकता है। देश भर में 500 से अधिक फ्री-टू-एयर चैनल उपलब्ध होने के साथ, प्रत्येक ग्राहक के लिए सभी फ्री-टू-एयर चैनलों को शामिल करना अनिवार्य करना उपयोगकर्ता की संतुष्टि को कम कर सकता है, क्योंकि पसंदीदा चैनलों को नेविगेट करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। वर्तमान में, उपभोक्ताओं के पास पहले से ही डीपीओ के प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध चैनलों में से अपने पसंदीदा फ्री-टू-एयर चैनल चुनने का अधिकार है। हितधारकों ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि योग्य चैनल स्वाभाविक रूप से दर्शकों को आकर्षित करेंगे और सफल होंगे। इसके अलावा, डीपीओ को सभी फ्री-टू-एयर चैनल दिखाने के लिए अनिवार्य करना उनके वित्तीय मॉडल पर दबाव डाल सकता है और संभावित रूप से मुक्त बाजार को बाधित कर सकता है। इसलिए, प्राधिकरण डीपीओ के प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध सभी फ्री-टू-एयर समाचार/गैर-समाचार/नए लॉन्च किए गए चैनलों को उसके सभी सब्सक्राइबरों के लिए अनिवार्य करने का समर्थन नहीं करता है।

च. डीडी फ्री डिश से संबंधित मुद्दे:

89. परामर्श पत्र में हितधारकों से सुझाव मांगा गया कि क्या डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध चैनलों को सभी डीपीओ सहित सभी प्लेटफॉर्म के लिए अनिवार्य रूप से फ्री टू एयर चैनल के रूप में उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

90. जवाब में, अधिकांश हितधारकों ने डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध चैनलों को सभी डीपीओ सहित सभी प्लेटफॉर्म के लिए अनिवार्य रूप से फ्री टू एयर चैनल के रूप में उपलब्ध कराए जाने के विचार का समर्थन किया। उन्होंने अपने रुख के लिए निम्नलिखित टिप्पणियाँ और औचित्य प्रस्तुत किए:
    - वर्तमान नियमों के अनुसार, एक बार किसी चैनल को एफटीए या पे घोषित कर दिया जाता है, तो उसे सभी डीपीओ को समान रूप से एफटीए या पे के रूप में प्रदान किया जाना चाहिए।
    - डीडी फ्री डिश द्वारा पे चैनलों की ढुलाई जारी रखने से ऐसी स्थिति पैदा हो रही है, जहां एक ओर ब्रॉडकास्टर लाइसेंस प्राप्त डीपीओ से अपने पे चैनलों के लिए सब्सक्रिप्शन फ्री ले रहे हैं, लेकिन उन्हीं चैनलों की ढुलाई के लिए डीडी फ्री डिश को भुगतान कर रहे हैं।
    - प्रसारक अपने चैनलों की ढुलाई/प्लेसमेंट की मांग के बारे में मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन वे खुली नीलामी में फ्री डिश को भारी शुल्क दे सकते हैं।
    - वितरण प्लेटफॉर्म पर चैनलों की समानता बाजार को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने और इसमें शामिल सभी खिलाड़ियों के लिए समान अवसर प्रदान करने का काम करेगी।
    - किसी अन्य डीपीओ के ग्राहक को उसी चैनल के लिए भुगतान नहीं करना चाहिए, जिसका आनंद डीडी फ्री डिश के ग्राहक मुफ्त में ले रहे हैं। डीपीओ और डीडी फ्री डिश में एक समान मूल्य निर्धारण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

- चैनलों की प्रकृति के बीच द्वंद्व ऐसी स्थिति को जन्म दे सकता है, जहां ऐसे चैनल कुछ खास प्लेटफॉर्म के लिए विशेष बन सकते हैं।
- अधिकांश "पे चैनल" ज्यादातर न्यूनतम मूल्य वाले पे चैनल हैं और वास्तव में अगर भादूविप्रा एफटीए चैनलों को बुके का हिस्सा बनने की अनुमति नहीं देने से संबंधित प्रतिबंध हटा देता है, तो यह काफी संभव है कि ये चैनल एफटीए आधार पर भी पेश किए जाएं।
- प्रसारण क्षेत्र की अखंडता को बनाए रखने के लिए, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित की जानी चाहिए, और उपभोक्ता हितों को बनाए रखा जाना चाहिए, यह जरूरी है कि चैनल सभी डीपीओ में लगातार अपनी निर्दिष्ट स्थिति (चाहे वह "पे" हो या "एफटीए") बनाए रखें।

91. दूसरी ओर, कुछ हितधारक डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध चैनलों को सभी डीपीओ सहित सभी प्लेटफॉर्म के लिए अनिवार्य रूप से फ्री टू एयर चैनल के रूप में उपलब्ध कराने के विचार के खिलाफ थे। उन्होंने अपने दृष्टिकोण को सही ठहराने के लिए निम्नलिखित तर्क दिए:
    - डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध चैनलों को निजी डीपीओ को एफटीए आधार पर उपलब्ध कराने का कोई भी आदेश गलत और निराधार होगा।
    - पे और एड्रेसेबल प्लेटफॉर्म पर किसी चैनल का पे चैनल होना और डीडी फ्री डिश पर फ्री टू एयर चैनल होना गलत नहीं है। इससे कोई समान अवसर नहीं मिलता।
    - इससे दर्शकों, खास तौर पर सीमित आय वाले दर्शकों की रुचि बढ़ती है, जिन्हें इस तरह से 'पे चैनल' तक मुफ्त पहुंच मिलती है।
    - इसमें भेदभाव का कोई तत्व नहीं है, क्योंकि प्लेटफॉर्म की अलग-अलग प्रकृति को देखते हुए, एक मामले में ब्रॉडकास्टर डीडी फ्री डिश को भुगतान करता है और दूसरे में निजी प्लेटफॉर्म ब्रॉडकास्टर को भुगतान करते हैं।
    - भले ही कोई उपभोक्ता डीपीओ से डीडी फ्री डिश पर उपलब्ध समान एफटीए चैनल चुनता हो, फिर भी उपभोक्ताओं को एनसीएफ शुल्क देना होगा। इसलिए, दोनों प्रणालियाँ तुलनीय नहीं हैं।
    - इससे प्रसारक की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगता है और परिणामस्वरूप अंतर-प्लेटफॉर्म प्रतिस्पर्धा में कमी आती है, जो उपभोक्ता की पसंद के लिए हानिकारक है।
    - डीडी फ्री डिश का उपयोग करने वाले पे चैनलों की संख्या मात्र 20 है, जो विनियामक द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।
    - प्रसार भारती अन्य निजी वितरण प्लेटफॉर्म ऑपरेटरों की तुलना में एक अलग इकाई है, क्योंकि यह कानून या विनियामक व्यवस्था के तहत समान रूप से नहीं आती है।

<u>विश्लेषण:</u>

92. प्रसार भारती द्वारा निर्धारित ई-नीलामी दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रसारक अपने चैनलों के लिए डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म पर स्थान सुरक्षित करने के लिए ई-नीलामी में भाग लेते हैं। इन चैनलों को उनकी शैली और भाषा के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया गया है। वर्तमान में, एमआईबी द्वारा अनुमति प्राप्त 75 निजी टेलीविजन चैनल डीडी

फ्री डिश प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। इनमें से 20 चैनलों को टैरिफ ऑर्डर 2017 के प्रावधानों के तहत उनके संबंधित प्रसारकों द्वारा 'पे' चैनल घोषित किया गया है। हालांकि, ये 20 चैनल बिना किसी मासिक सदस्यता शुल्क के डीडी फ्री डिश उपभोक्ताओं के लिए सुलभ हैं।

93. हितधारकों ने उल्लेख किया है कि निजी डीपीओ एवं डीडी फ्री डिश के बीच पे टीवी चैनलों के लिए वर्तमान मूल्य अंतर है। इसके अलावा, डीडी फ्री डिश पर फ्री-टू-एयर और पे चैनल दोनों ही बिना किसी मासिक शुल्क के दर्शकों के लिए सुलभ हैं। जिसके कारण बढ़ती संख्या में उपभोक्ता डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रहे हैं। नतीजतन, निजी डीपीओ को ग्राहकों की संख्या में गिरावट का सामना करना पड़ रहा है। इससे डीडी फ्री डिश के ग्राहकों और निजी डीपीओ के बीच भेदभाव भी होता है, क्योंकि एक ही उत्पाद अलग-अलग कीमतों पर उपलब्ध है।

94. प्राधिकरण का मानना है कि डीपीओ के बीच समान अवसर सुनिश्चित करने और ग्राहकों के बीच भेदभाव न करने के लिए सभी वितरण प्लेटफार्मों पर पे चैनल की कीमत एक समान होनी चाहिए। तदनुसार, प्राधिकरण ने निर्णय लिया है कि कोई चैनल, जिसे एमआईबी द्वारा अनुमति दी गई है और जो डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म पर बिना किसी सदस्यता शुल्क के उपलब्ध है, उसे एड्रेसेबल वितरण प्लेटफार्मों के लिए पे चैनल घोषित नहीं किया जाएगा। टैरिफ ऑर्डर 2017 में इस आशय के उपयुक्त प्रावधान शामिल किए गए हैं।

95. हितधारकों से यह भी टिप्पणी करने के लिए कहा गया कि क्या टैरिफ ऑर्डर 2017, इंटरकनेक्शन विनियम 2017 और सेवा गुणवत्ता विनियम 2017 को डीडी फ्री डिश जैसे गैर-एड्रेसेबल वितरण प्लेटफार्मों पर भी लागू किया जाना चाहिए।

96. इसके अतिरिक्त, हितधारकों से टिप्पणी करने के लिए कहा गया कि क्या डीडी फ्री डिश को एड्रेसेबल प्लेटफॉर्म के रूप में अपग्रेड करने पर विचार करने की आवश्यकता है। सभी एसटीबी को एड्रेसेबल बनाने के लिए तंत्र/प्रौद्योगिकी और माइग्रेशन पद्धति के बारे में भी सुझाव मांगे गए।

97. प्राधिकरण ने हितधारकों की टिप्पणियों और अपने स्वयं के विश्लेषण का विश्लेषण करने के बाद, उपरोक्त दो मुद्दों पर अपनी विस्तृत सिफारिशें सरकार को अलग से भेजी हैं।

छ. वित्तीय निरुत्साहन:

98. परामर्श पत्र में हितधारकों से पूछा गया कि क्या सेवा प्रदाता द्वारा टैरिफ आदेश, इंटरकनेक्शन विनियमन और सेवा गुणवत्ता विनियमन के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में वित्तीय निरुत्साहन लगाया जाना चाहिए। उनसे विभिन्न उल्लंघनों के लिए वित्तीय निरुत्साहन की राशि के साथ-साथ अनुपालन के लिए समय और सेवा प्रदाता द्वारा निर्धारित समय के भीतर अनुपालन न किए जाने की स्थिति में लगाए जाने वाले किसी भी अतिरिक्त वित्तीय निरुत्साहन को निर्दिष्ट करने के लिए भी कहा गया।

99. इसके जवाब में, कुछ हितधारकों ने किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के मामले में वित्तीय निरुत्साहन लगाने के विचार से सहमति व्यक्त की। उन्होंने अपने रुख का समर्थन करने के लिए निम्नलिखित तर्क और औचित्य प्रदान किए:

- वित्तीय निरुत्साहन , अनुसूची III आवश्यकताओं, गुणवत्ता सेवा और डेटा हेरफेर/डेटा हटाने के गैर-अनुपालन के लिए डीपीओ पर लगाए जाने वाले दंड के रूप में देय पर्याप्त राशि की प्रकृति में हो सकते हैं।
- भादूविप्रा को लाइसेंस रद्द करने सहित वित्तीय निरुत्साहन लगाने पर विचार करना चाहिए और उल्लंघन की प्रकृति और ऐसे उल्लंघन की आवृत्ति और संबंधित डीपीओ द्वारा सुधार के आधार पर इसका मूल्यांकन किया जा सकता है।
- प्रसारक के किसी भी अधिकार (इंटरकनेक्ट विनियमन के तहत डिस्कनेक्ट करने के प्रसारक के अधिकार सहित) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वित्तीय निरुत्साहन और ब्लैकलिस्टिंग का प्रावधान करना आवश्यक है।
- वित्तीय निरुत्साहन उन क्षेत्रों में पेश किए जा सकते हैं जहां एमएसओ की अन्य हितधारकों पर कोई निर्भरता नहीं है।
- चूक को उसकी गंभीरता के आधार पर प्रमुख या मामूली रूप में तय किया जाना चाहिए, उदाहरण के लिए एनालॉग मोड में सिग्नल वितरित करना प्रमुख चूक माना जाना चाहिए, निश्चित शुल्क के आधार पर सदस्यता शुल्क सौदे में प्रवेश करना प्रमुख चूक माना जाना चाहिए।
- प्राधिकरण को डीपीओ द्वारा मौजूदा विनियमन के प्रावधानों का अनुपालन न करने पर उपयुक्त वित्तीय निरुत्साहन लगाना चाहिए, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अंतरसंयोजन समझौते पर हस्ताक्षर न करना/समय पर नवीनीकरण न करना, लागू शैली/भाषा में चैनल की नियुक्ति के प्रावधान का अनुपालन न करना, समय पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत न करना, मासिक ग्राहक रिपोर्ट प्रस्तुत न करना आदि शामिल होंगे।

100. वित्तीय निरुत्साहन की राशि का सुझाव देते हुए एक हितधारक ने सुझाव दिया कि पहली चूक के लिए डीपीओ से स्पष्टीकरण मांगा जाना चाहिए और उसकी सद्भावनापूर्ण गलती के लिए उसे माफ कर दिया जाना चाहिए तथा लगातार चूक के लिए, छोटी तरह की चूक के लिए 25,000/- रुपये तथा बड़ी तरह की पहली चूक के लिए 50,000/- रुपये का वित्तीय दंड लगाया जा सकता है। एक अन्य हितधारक ने सुझाव दिया कि 500 से कम ग्राहकों वाले छोटे डीपीओ को गैर-अनुपालन या पाईरेसी के लिए प्रति माह कम से कम 1 लाख रुपये का वित्तीय निरुत्साहन झेलना पड़ सकता है, जो समाधान होने तक प्रतिदिन 1 लाख रुपये तक बढ़ सकता है, तथा दंड वास्तविक नुकसान का न्यूनतम 50% निर्धारित किया जा सकता है।

101. अनुपालन समय और उसके बाद अतिरिक्त निरुत्साहन के लिए, हितधारक ने निम्नलिखित विभिन्न सुझाव दिए:

- वित्तीय निरुत्साहन के भुगतान का समय सेवा प्रदाता को सूचना देने की तिथि से 15 दिन के रूप में निर्धारित किया जा सकता है। समय अवधि से परे गैर-अनुपालन के लिए वित्तीय निरुत्साहन का 50% जुर्माना होना चाहिए। ऋण के लिए एसबीआई आधार दर से 2% अधिक नियमों में उल्लिखित ब्याज दर लगाई जानी चाहिए।

- सेवा प्रदाता को ब्याज और दंड प्रावधान के साथ 7 दिनों के भीतर भुगतान करना आवश्यक होना चाहिए। उल्लंघन की तारीख से ब्याज के भुगतान की तारीख तक की गणना 18% प्रति वर्ष की दर से की जानी चाहिए। यदि डीपीओ निर्धारित समय के भीतर अनुपालन नहीं करते हैं तो जुर्माना राशि दोगुनी होनी चाहिए और 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज जारी रखा जाना चाहिए, और सेवा प्रदाता को व्यवसाय जारी रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

102. ग्राहक को हुए नुकसान की स्थिति में एक हितधारक ने सुझाव दिया कि उपभोक्ता को हुए नुकसान के बराबर मुआवजा दिया जाना चाहिए। जबकि दूसरे हितधारक ने सुझाव दिया कि मुआवजा ग्राहक को हुए नुकसान से दोगुना होना चाहिए।

103. हालांकि, अधिकांश हितधारक मुख्य रूप से डीटीएच ऑपरेटर, एमएसओ और कुछ एसोसिएशन और कुछ समाचार प्रसारक किसी भी वित्तीय निरुत्साहन लगाने के विचार के खिलाफ थे और उन्होंने अपने रुख का समर्थन करने के लिए निम्नलिखित तर्क दिए:

- विनियामक वित्तीय हतोत्साहनों के कार्यान्वयन से अनुपालन लागत में वृद्धि हो सकती है और संसाधनों का उपयोग उत्पादक गतिविधियों और नवाचार से दूर हो सकता है।
- विनियामक वित्तीय निरुत्साहन व्यवसायों को दीर्घकालिक संधारणीय प्रथाओं पर अल्पकालिक अनुपालन को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं।
- बढ़ती सदस्यता लागत, मुख्य रूप से प्रसारकों की मूल्य निर्धारण रणनीतियों द्वारा संचालित, उनके ग्राहक आधार में महत्वपूर्ण गिरावट का कारण बनी है। वित्तीय निरुत्साहन बेहतर अनुपालन को बढ़ावा देने के बजाय उद्योग की गिरावट को बढ़ाएंगे।
- ये उपभोक्ता विरोधी हैं, क्योंकि यह लागत अंततः उपभोक्ताओं पर ही डाली जाएगी। इसलिए, सेवा प्रदाताओं पर कोई वित्तीय निरुत्साहन नहीं लगाया जाना चाहिए।
- सेवाओं में किसी भी कमी को उपभोक्ता अधिकारों से संबंधित देश के सामान्य कानूनों के माध्यम से संबोधित किया जा सकता है।
- प्रसारण क्षेत्र जैसे अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाजार में, सेवा में किसी भी कमी के परिणामस्वरूप प्रतिस्पर्धियों को व्यवसाय का नुकसान होगा।

104. हितधारकों ने वित्तीय निरुत्साहन के बिना अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपायों की अनुशंसा की:

- भादूविप्रा प्रसारकों को निर्देश दे सकता है कि वे लगातार दो वर्षों तक उन डीपीओ को अपने सिग्नल उपलब्ध न कराएं, जो विनियमों के तहत अनिवार्य तकनीकी ऑडिट से नहीं गुजरते हैं।
- पायरेसी में लिप्त पाए जाने वाले किसी भी डीपीओ को प्रसारक चैनलों तक पहुंच से वंचित किया जाना चाहिए।
- विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भादूविप्रा अधिनियम, 1997 के तहत प्रावधान पर्याप्त हैं।
- अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सकारात्मक प्रोत्साहन की नीति अपनाई जानी चाहिए।

<u>विश्लेषण</u>

105. क्यूओएस विनियम 2017 और अंतर्संयोजन विनियम 2017 में वित्तीय निरुत्साहन से संबंधित प्रावधान मौजूद हैं।

106. समय-समय पर संशोधित, सेवा की गुणवत्ता और उपभोक्ता संरक्षण (एड्रेसेबल सिस्टम) विनियम, 2017 के *दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा मानक, वित्तीय निरुत्साहन के संबंध में निम्नलिखित निर्धारित करते हैं:*

"22. पोस्टपेड बिलों की डिलीवरी और भुगतान। - (1) टेलीविजन चैनलों का प्रत्येक वितरक, सीधे या अपने संबद्ध स्थानीय केबल ऑपरेटर के माध्यम से, जैसा भी मामला हो, प्रत्येक पोस्टपेड ग्राहक को बिलिंग चक्र की समाप्ति से पंद्रह दिनों के भीतर पोस्टपेड बिल वितरित करेगा:

बशर्ते कि वितरक या उसके संबद्ध स्थानीय केबल ऑपरेटर, जैसा भी मामला हो, ग्राहक को ऐसा बिल मुद्रित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक रूप में वितरित करेगा, जैसा कि ग्राहक द्वारा चुना जा सकता है।

.....

.....

(5) टेलीविजन चैनलों का प्रत्येक वितरक या उससे संबद्ध स्थानीय केबल ऑपरेटर, जैसा भी मामला हो, प्रत्येक पोस्टपेड ग्राहक को उसके द्वारा किए गए प्रत्येक भुगतान के लिए रसीद जारी करेगा और ग्राहक द्वारा किए गए भुगतान के सात दिनों के भीतर ग्राहक के नाम के सामने रसीद का विवरण, जिसमें रसीद की तारीख, क्रम संख्या और ग्राहक प्रबंधन प्रणाली द्वारा भुगतान की गई राशि शामिल है, दर्ज करेगा:

बशर्ते कि वितरक या उससे संबद्ध स्थानीय केबल ऑपरेटर, जैसा भी मामला हो, ग्राहक को ऐसा बिल मुद्रित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक रूप में देगा, जैसा कि ग्राहक द्वारा चुना जा सकता है।

.....

(7) यदि टेलीविजन चैनलों का कोई वितरक उप-विनियम (1) या उप-विनियम (5) के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो वह अपने पंजीकरण की शर्तों या अधिनियम या नियमों या विनियमों या उसके तहत बनाए गए आदेशों या जारी किए गए निर्देशों के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, वित्तीय निरुत्साहन के रूप में प्रति ग्राहक बीस रुपये से अधिक की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जिसके संबंध में ऐसा उल्लंघन देखा गया है, जैसा कि प्राधिकरण आदेश द्वारा निर्देशित कर सकता है।

(8) उप-विनियम (7) के तहत वित्तीय निरुत्साहन के रूप में राशि के भुगतान के लिए कोई आदेश प्राधिकरण द्वारा तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि टेलीविजन चैनलों के वितरक को प्राधिकरण द्वारा देखे गए विनियमन के उल्लंघन के खिलाफ प्रतिनिधित्व करने का उचित अवसर नहीं दिया गया हो।

(9) इन विनियमों के तहत वित्तीय निरुत्साहन के रूप में देय राशि ऐसे खाता शीर्ष में भेजी जाएगी, जैसा कि प्राधिकरण द्वारा आदेश द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।"

107. *दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) विनियमन 2017, समय-समय पर संशोधित, वित्तीय निरुत्साहन के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान करता है:*

"4क. टेलीविजन चैनलों के वितरकों द्वारा एड्रेसेबल सिस्टम की आवश्यकताओं का अनुपालन। -

.....

(2) यदि कोई वितरक उप-विनियमन (1) के तहत प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट निर्धारित समयसीमा के भीतर अपने नेटवर्क में तैनात सशर्त पहुंच प्रणाली और/या ग्राहक प्रबंधन प्रणाली का प्रमाणन प्राप्त करने में विफल रहता है, तो वह अपने लाइसेंस या अनुमति या पंजीकरण की शर्तों या अधिनियम या नियमों या विनियमों या बनाए गए आदेशों या जारी किए गए निर्देशों के प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, देय तिथि से तीस दिनों तक चूक के लिए प्रतिदिन एक हजार रुपये की राशि और देय तिथि से तीस दिनों से अधिक चूक जारी रहने की स्थिति में प्रतिदिन दो हजार रुपये की अतिरिक्त राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जैसा कि प्राधिकरण आदेश द्वारा निर्देशित कर सकता है:

बशर्ते कि इस उप-विनियमन के तहत प्राधिकरण द्वारा लगाया गया वित्तीय निरुत्साहन किसी भी मामले में दो लाख रुपये से अधिक नहीं होगा:

बशर्ते कि प्राधिकरण द्वारा वित्तीय निरुत्साहन के रूप में किसी भी राशि के भुगतान का कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि वितरक को विनियमों के उल्लंघन के विरुद्ध प्रतिनिधित्व का उचित अवसर नहीं दिया जाता है, जैसा कि प्राधिकरण द्वारा देखा गया है:

बशर्ते कि प्राधिकरण प्रसारकों को वितरक को तीन सप्ताह का लिखित नोटिस देने के बाद अपने टेलीविजन चैनल के सिग्नल को डिस्कनेक्ट करने का निर्देश दे सकता है, यदि चूक नियत तारीख से साठ दिनों से अधिक समय तक जारी रहती है।"

108. दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा रजिस्टर ऑफ इंटरकनेक्शन समझौते और ऐसे सभी अन्य मामले विनियम, 2019 वित्तीय प्रोत्साहन के संबंध में निम्नलिखित निर्धारित करते हैं:

"4. प्रसारक या वितरक द्वारा रिपोर्ट की गई सूचना की रिपोर्ट या सत्यापन करने में विफलता के परिणाम।-(1) यदि कोई प्रसारक या वितरक विनियम 3 के तहत अपेक्षित सूचना या प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहता है या रिपोर्ट की गई सूचना को नियत तिथि तक सत्यापित करने में विफल रहता है, तो वह अपने लाइसेंस/अनुमति/पंजीकरण की शर्तों या अधिनियम या नियमों या विनियमों या उसके तहत जारी किए गए आदेश या निर्देश के प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नियत तिथि से तीस दिन तक चूक के लिए प्रतिदिन एक हजार रुपये की राशि वित्तीय निरुत्साहन के रूप में अदा करने के लिए उत्तरदायी होगा और यदि चूक नियत तिथि से तीस दिन से अधिक समय तक जारी रहती है तो प्रतिदिन दो हजार रुपये की अतिरिक्त राशि का भुगतान करेगा, जैसा कि प्राधिकरण आदेश द्वारा निर्देशित कर सकता है।

बशर्ते कि इस उप-विनियमन के तहत प्राधिकरण द्वारा लगाया गया वित्तीय निरुत्साहन किसी भी मामले में दो लाख रुपये से अधिक नहीं होगा।

बशर्ते कि वित्तीय निरुत्साहन के रूप में किसी राशि के भुगतान के लिए प्राधिकरण द्वारा तब तक कोई आदेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि प्रसारक या वितरक को, जैसा भी मामला हो, प्राधिकरण द्वारा देखे गए विनियमों के उल्लंघन के खिलाफ प्रतिनिधित्व का उचित अवसर नहीं दिया गया हो।

(2) इन विनियमों के अंतर्गत वित्तीय निरुत्साहन के रूप में देय राशि ऐसे लेखा शीर्ष में प्रेषित की जाएगी, जैसा कि प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा।"

109. लेकिन क्यूओएस विनियम 2017 और अंतर्संयोजन विनियम 2017 में वित्तीय निरुत्साहन से संबंधित प्रावधान केवल सीमित प्रावधानों पर लागू हैं। टैरिफ आदेश 2017 में वित्तीय निरुत्साहन के संबंध में कोई प्रावधान नहीं हैं।

110. प्राधिकरण ने पाया है कि कई मामलों में, सेवा प्रदाता टैरिफ आदेश और विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। गैर-अनुपालन के परिणामस्वरूप ग्राहकों को निम्न गुणवत्ता वाली सेवा मिल सकती है और सेवा प्रदाताओं के बीच विवाद हो सकता है। तदनुसार, सेवा प्रदाताओं द्वारा टैरिफ आदेश और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने और उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए, प्राधिकरण ने टैरिफ आदेश और विनियमों के उल्लंघन के लिए वित्तीय प्रोत्साहन लगाने के प्रावधान लागू करने का निर्णय लिया है। हालाँकि, प्राधिकरण मानता है कि ये प्रावधान सरल और कार्यान्वयन योग्य होने चाहिए।

111. इस संबंध में, प्राधिकरण ने नोट किया है कि सरकार द्वारा दिनांक 11 अगस्त 2023 को जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2023 के माध्यम से केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया गया था। उक्त जन विश्वास अधिनियम, जीवन को आसान बनाने और व्यापार करने के लिए विश्वास-आधारित शासन को और बढ़ाने के लिए अपराधों को कम करने और तर्कसंगत बनाने के लिए केबल टीवी अधिनियम सहित कुछ अधिनियमों में संशोधन करने के लिए बनाया गया था। दंड लगाने की कार्यवाही की प्रकृति को पहले के आपराधिक से संशोधित कर अधिक प्रशासनिक कर दिया गया जैसे कि सलाह, या निंदा, या चेतावनी, या वित्तीय जुर्माना या दोनों जारी करना।

112. उपर्युक्त जन विश्वास अधिनियम की धारा 16 में अधिनियम के प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान है। सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना ऐसा कोई दंड नहीं लगाया जा सकता। उक्त दंड के विरुद्ध उक्त आदेश के 30 दिनों के भीतर इस संबंध में प्राधिकृत किसी भी अधिकारी के समक्ष अपील की जा सकती है। यदि अपीलकर्ता यह स्पष्ट करता है कि उसे समय पर अपील करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था, तो 30 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद भी अपील पर विचार किया जा सकता है।

113. प्राधिकरण ने मसौदा प्रसारण विधेयक, 2023 में प्रस्तावित उल्लंघनों से संबंधित प्रावधानों पर भी विचार किया है, जिसमें खंडों की गंभीरता के आधार पर दंड की अलग-अलग राशि प्रस्तावित की गई है। इसके अलावा, सेवा प्रदाताओं

को उनके टर्नओवर और निवेश के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग-अलग दंड प्रस्तावित किए गए हैं।

114. प्राधिकरण का विचार है कि टैरिफ आदेश, इंटरकनेक्शन विनियमन और क्यूओएस विनियमों के उल्लंघन के संबंध में वित्तीय निरुत्साहन को डिजाइन करने के लिए प्रावधानों का अनुकरण किया जा सकता है।

115. वित्तीय निरुत्साहन लगाने के उद्देश्य से, प्राधिकरण ने पाया कि टैरिफ आदेश 2017 (संशोधित) के कुछ खंडों का उल्लंघन करने से बड़े प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकते हैं, जैसे कि उपभोक्ता की पसंद को प्रभावित करना, उपभोक्ताओं को पारदर्शी जानकारी देना, सेवा प्रदाताओं के बीच भेदभाव न करना, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करना, अनुचित व्यावसायिक व्यवहार आदि। तदनुसार, प्राधिकरण ने इन खंडों के उल्लंघन के लिए अधिक वित्तीय निरुत्साहन लगाने का निर्णय लिया है (तालिका 1 मे समूह ख में दिए गए)। कम प्रभाव वाले खंडों के उल्लंघन/उल्लंघन के लिए, जो सीधे उपभोक्ता हितों को प्रभावित नहीं करते हैं या स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रभावित नहीं करते हैं, वित्तीय निरुत्साहन की कम राशि निर्धारित की गई है (तालिका 1 मे समूह क में दिए गए)। हालांकि प्राधिकरण हल्के स्पर्श विनियमन में विश्वास करता है, फिर भी विनियमन और आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना सबसे महत्वपूर्ण है। दोनों को संतुलित करते हुए, प्राधिकरण ने कम प्रभाव वाले खंडों के पहले उल्लंघन के मामले में एक सलाह/चेतावनी जारी करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, सेवा प्रदाताओं को बार-बार उल्लंघन करने से रोकने के लिए, प्रत्येक खंड के पहले उल्लंघन के लिए कम वित्तीय प्रोत्साहन राशि निर्धारित की गई है और उसी खंड के प्रत्येक बाद के उल्लंघन के लिए एक उच्च राशि निर्धारित की गई है। तदनुसार, संशोधित टैरिफ आदेश 2017 के विभिन्न खंड और उनके पहले उल्लंघन और बाद के उल्लंघन के लिए लगाए जाने वाले वित्तीय निरुत्साहन की राशि इस प्रकार है

तालिका 1: टैरिफ आदेश के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए वित्तीय निरुत्साहन की मात्रा

खंड	**विवरण**	**वित्तीय निरुत्साहन की अधिकतम राशि (Q) (रु. में)**	
		प्रथम उल्लंघन	**इसके बाद का उल्लंघन**
समूह क : कम वित्तीय निरुत्साहन के लिए खंड			
3(2)(क)	चैनल की प्रकृति को एफटीए या पे के रूप में घोषित करना	परामर्श/चेतावनी	25,000
6	प्रसारकों द्वारा रिपोर्टिंग की आवश्यकता	परामर्श/चेतावनी	25,000
7	डीपीओ द्वारा रिपोर्टिंग की आवश्यकता	परामर्श/चेतावनी	25,000
8	अनुपालन अधिकारी का पदनाम	परामर्श/चेतावनी	25,000
समूह ख : अधिक वित्तीय निरुत्साहन के लिए खंड			
3(1)	सभी डीपीओ को ए कार्टे आधार पर सभी-ला-चैनलों की पेशकश	25,000	1,00,000

3(2)(ख)	ए कार्टे आधार पर पेश किए जाने वाले पे-ला-चैनल के एमआरपी की घोषणा	25,000	1,00,000
3(2)(खबी) का दूसरा परंतुक	सभी वितरण प्लेटफार्मों के लिए एक चैनल का एमआरपी एक समान होगा	25,000	1,00,000
3(2)(ख) का तीसरा परंतुक	डीडी फ्री डिश पर उपलब्ध चैनल एड्रेसेबल सिस्टम के लिए एफटीए होंगे	25,000	1,00,000
3(3)	प्रसारकों द्वारा बुके का निर्माण	25,000	1,00,000
4(1)	एनसीएफ की घोषणा	25,000	1,00,000
4(2)	अपने नेटवर्क पर उपलब्ध चैनलों को ग्राहकों को अ-ला-कार्टे आधार पर उपलब्ध कराना	25,000	1,00,000
4(3)	बिना किसी परिवर्तन के प्रसारकों के पे-चैनलों का बुके प्रस्तुत करना	25,000	1,00,000
4(4)	डीपीओ द्वारा बुके देना	25,000	1,00,000
4(6)	कोई भी डीपीओ अपने ग्राहकों से एफटीए चैनलों या एफटीए चैनलों के बुके की सब्सक्रिप्शन लेने के लिए एनसीएफ के अलावा कोई अन्य राशि नहीं लेगा।	25,000	1,00,000
4(8)	डीपीओ छह महीने की अवधि के लिए एनसीएफ में वृद्धि नहीं करेगा	25,000	1,00,000

116. प्राधिकरण ने पाया है कि सभी प्रसारकों और डीपीओ का वित्तीय डेटा उपलब्ध नहीं है। इसलिए, डीपीओ के मामले में, प्राधिकरण ने डीपीओ के ग्राहक आधार पर विचार किया है जो कुछ सौ से लेकर दस लाख से अधिक तक भिन्न होता है। चूंकि उनका राजस्व अलग-अलग होता है और साथ ही उनके द्वारा किए गए उल्लंघन के निहितार्थ भी भिन्न होते हैं, इसलिए सभी डीपीओ के लिए एक ही वित्तीय निरुत्साहन लागू करना उचित नहीं हो सकता है। तदनुसार, प्राधिकरण ने डीपीओ को उनके ग्राहक आधार के आधार पर वर्गीकृत करने और प्रत्येक श्रेणी के लिए निम्नानुसार श्रेणीबद्ध वित्तीय निरुत्साहन लागू करने का निर्णय लिया है:

<u>तालिका 2: सब्सक्राइबर बेस के आधार पर डीपीओ की श्रेणियां एवं प्रत्येक वर्ग के लिए वित्तीय निरुत्साहन</u>

डीपीओ की श्रेणी	सब्सक्राइबर बेस	लागू वित्तीय निरुत्साहन की राशि
सूक्ष्म	30,000 से कम	अधिकतम एफडी राशि का 10% यानि 0.1Q
छोटा	30,000 से 1,00,000 के बीच	अधिकतम एफडी राशि का 25% यानी 0.25Q
मध्यम	1,00,000 से 10,00,000 के बीच	अधिकतम एफडी राशि का 50% यानी 0.5Q
बड़ा	10,00,000 से अधिक	अधिकतम एफडी राशि का 100% यानी Q

117. प्रसारकों के मामले में, प्राधिकरण ने नोट किया है कि टैरिफ आदेश 2017 के तालिका 1 मे समूह ख में दिए गए खंडों का अनुपालन पे चैनलों के प्रसारकों द्वारा किया जाना है, तालिका 1 मे समूह क में दिए गए खंडों का अनुपालन पे और एफटीए चैनलों के प्रसारकों द्वारा किया जाना है। केवल एफटीए चैनल पेश करने वाले प्रसारक आमतौर पर छोटे होते हैं। तदनुसार, प्राधिकरण ने निर्णय लिया है कि प्रसारकों के मामले में, वित्तीय निरुत्साहन का निर्धारण उस चैनल की प्रकृति के आधार पर किया जाना चाहिए जिसके लिए उल्लंघन देखा गया है, चाहे वह पे चैनल हो या एफटीए चैनल, जो कि निम्नानुसार है (सिवाय इसके कि जहां चेतावनी/परामर्श जारी किया गया हो):

<u>तालिका 3: प्रसारकों के लिए वित्तीय निरुत्साहन</u>

निम्न के संबंध में उल्लंघन	एफडी की राशि
एफटीए चैनल	अधिकतम एफडी राशि का 50% यानी 0.5 क्यू
पे चैनल	अधिकतम एफडी राशि का 100% यानी क्यू

118. प्राधिकरण ने यह भी निर्णय लिया है कि तालिका 1 मे समूह ख में दिए गए खंडों के तीन वर्षों के ब्लॉक में तीन से अधिक उल्लंघनों के मामले में, नवीनतम उल्लंघन की तारीख से पीछे की ओर गणना करते हुए, ऊपर उल्लिखित वित्तीय निरुत्साहन लगाने के अलावा, भादूविप्रा अधिनियम, 1997 के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकरण द्वारा की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, एमआईबी को उचित कार्रवाई करने की अनुशंसा कर सकता है।

119. किसी प्रावधान के निरन्तर उल्लंघन को रोकने के लिए अर्थात् वित्तीय निरुत्साहन लगाए जाने के बाद भी, सुधार के लिए दी गई समय-सीमा के भीतर सुधार न किए जाने वाले उल्लंघन को रोकने के लिए प्राधिकरण ने पहले तीस दिनों के लिए प्रतिदिन दो हजार रुपए तथा तीस दिनों के बाद प्रतिदिन पांच हजार रुपए की दर से एफ.डी. लगाने का निर्णय लिया है, जिसकी गणना पहले से लगाए गए एफ.डी. के अतिरिक्त निर्दिष्ट अनुपालन की अंतिम तिथि से की जाएगी।

120. प्राधिकरण का विचार है कि एफ.डी. की राशि को एक सीमा से अधिक नहीं बढ़ाया जाना चाहिए, अन्यथा इसका, विशेष रूप से छोटे सेवा प्रदाताओं पर, प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जिसकी वसूली नहीं की जा सकेगी। तदनुसार, प्राधिकरण ने सेवा प्रदाता से लगाए जाने वाले एक कैलेंडर वर्ष में तालिका 1 मे समूह क में दिए गए खंडों के सभी उल्लंघनों के लिए अधिकतम वित्तीय निरुत्साहन को दो लाख रुपए तक सीमित करने का निर्णय लिया है, तथा तालिका 1 मे समूह ख में दिए गए खंडों के सभी उल्लंघनों के इसे पांच लाख रुपए तक सीमित करने का निर्णय लिया है।

121. यदि कोई सेवा प्रदाता निर्धारित अवधि के भीतर वित्तीय निरुत्साहन का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसे उस दर पर ब्याज का भुगतान करना होगा जो वित्तीय वर्ष की शुरुआत (अर्थात 1 अप्रैल) जिसमें निर्धारित अवधि का अंतिम दिन पड़ता है, के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक की एक वर्ष की सीमांत उधार दर (एमसीएलआर) से 2% अधिक होगी। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाएगा।

ज. अन्य मुद्दे:

122. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) ने दिनांक 16 सितंबर 2022 को डीटीएच ऑपरेटरों के संबंध में प्लेटफॉर्म सेवाओं (पीएस) के लिए और 30 नवंबर 2022 को एमएसओ के लिए परिचालन दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों के अनुसार सभी पीएस को ईपीजी में "प्लेटफॉर्म सेवाओं" की श्रेणी में उनके एमआरपी के साथ एक साथ समूहीकृत किया जाना चाहिए। इन दिशानिर्देशों में यह भी निर्धारित किया गया है कि भादूविप्रा के लागू विनियमों के अनुसार ग्राहकों को पीएस के सक्रियण/निष्क्रियण का विकल्प प्रदान किया जाना चाहिए। तदनुसार, परामर्श पत्र में हितधारकों से भादूविप्रा द्वारा अधिसूचित क्यूओएस विनियमों में एमआईबी द्वारा जारी दिशानिर्देशों में उल्लिखित पीएस से संबंधित प्रावधानों को उपयुक्त रूप से शामिल करने के लिए टिप्पणियां प्रदान करने के लिए कहा गया था। हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों और प्रति टिप्पणियों को क्यूओएस विनियम 2017 के संशोधनों के साथ संलग्न व्याख्यात्मक ज्ञापन में विस्तृत और विश्लेषित किया गया है। तदनुसार, पीएस की परिभाषा, ईपीजी में एमआरपी के साथ पीएस के प्रदर्शन से संबंधित विनियम और पीएस के सक्रियण/निष्क्रियण के विकल्प से संबंधित प्रावधानों को क्यूओएस विनियम 2017 में शामिल किया गया है।

123. चूंकि डीपीओ को अपने ईपीजी में पीएस के एमआरपी को प्रदर्शित करना आवश्यक है, इसलिए प्राधिकरण का विचार है कि डीपीओ को टैरिफ आदेश 2017 के प्रावधानों के तहत उनके द्वारा पेश किए गए पीएस के एमआरपी की घोषणा करनी चाहिए। तदनुसार, पीएस की परिभाषा और डीपीओ द्वारा पेश किए गए पीएस के लिए टैरिफ की घोषणा और रिपोर्टिंग के लिए उपयुक्त खंड शामिल किए गए हैं।

124. इसके अतिरिक्त, टैरिफ आदेश 2017 में संशोधन से संबंधित रिपोर्टिंग आवश्यकताओं में संशोधन की आवश्यकता है। तदनुसार, इस आशय के उपयुक्त प्रावधानों को टैरिफ आदेश 2017 में शामिल किया गया है।

****